अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान,उत्तर प्रदेश
website: http://updes.up.nic.in

उत्तर प्रदेश के आय-व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

2010 - 2011

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान,उत्तर प्रदेश
website: http://updes.up.nic.in

पत्रिका संख्या–313

उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

2010–2011

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान
उत्तर प्रदेश

दिसम्बर – 2010

website: http:// updes.up.nic.in

प्राक्कथन

आय-व्ययक राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण वार्षिक वित्तीय अभिलेख हैं, जिसमें सरकार के विभिन्न स्त्रोतों से आय तथा व्यय की मदों की धनराशि का स्पष्ट उल्लेख रहता हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के आय-व्ययक सम्बंधी लेन-देनों के आर्थिक प्रभाव को सुगमता पूर्वक समझने के उद्देश्य से आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण सर्वप्रथम वर्ष 1965-66 में अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। वर्ष 1966-67 से आर्थिक वर्गीकरण के साथ-साथ प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से कार्य सम्बंधी वर्गीकरण भी आरम्भ किया गया। केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय का अर्थ प्रभाग, केन्द्रीय सरकार के आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण 1957-58 से तथा आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण वर्ष 1967-68 से कर रहा हैं। यह कार्य केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश एवं वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जा रहा है।

आय-व्ययक के आर्थिक वर्गीकरण के अन्तर्गत मुख्य रुप से वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन-देन एवं अन्तरण, वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन तथा वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन के विभिन्न मदों के अधीन व्यय अनुमान दर्शाये गये हैं।

कार्य सम्बंधी वर्गीकरण के अन्तर्गत व्यय के मदों को कार्य के आधार पर विभिन्न नौ भागों में बांटते हुये चालू व्यय एवं पूंजीगत व्यय/परिव्यय का आंकलन दर्शाया गया हैं।

आय-व्ययक वर्गीकरण की प्रस्तुत पुस्तिका को श्रीमती अलका ढौंडियाल, उप निदेशक के मार्ग दर्शन में तथा श्रीमती कंचन जायसवाल, अर्थ एवं संख्याधिकारी की कुशल देख-रेख में तैयार किया गया है। राज्य आय अनुभाग के श्री अशोक कुमार मिश्र, श्री सुनील कुमार गुप्ता, श्री अरुण कुमार गुप्ता, सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी, श्रीमती मणि श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक एवं ग्राफ अनुभाग के सहायकों द्वारा किया गया परिश्रम विशेष रुप से सराहनीय हैं।

आशा है प्रस्तुत अंक पूर्व अंकों की भांति प्रशासकों, अर्थशास्त्रियों, नीतिनिर्धारकों एवं वित्तीय संस्थानों के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा ।

लखनऊ :
दिनांक : 30 दिसम्बर, 2010

(हिमांशु सिंह)
आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक।

विषय–सूची

भाग–1 – आर्थिक वर्गीकरण

अध्याय		पृष्ठ–संख्या
1– भूमिका		1 – 4
2– लेखा विवरण		5 – 14
3– सामंजस्य		15 – 18
4– कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष		19 – 25
5– लेखाओं पर टिप्पणी		26 – 31

भाग–2 – कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

6–	(1) आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण	32
	(2) कार्य सम्बंधी वर्गीकरण के सिद्धान्त	32 – 33
	(3) सारणियां	33 – 53
7–	कार्यात्मक वर्गीकरण पर टिप्पणी–	54 – 57
	परिशिष्ट–1 (अ) कार्य सम्बंधी वर्गीकरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय	58 – 59
	1 (ब) कार्य सम्बंधी वर्गीकरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय का प्रतिशत वितरण	60 – 61

****

भाग–1

आर्थिक वर्गीकरण

अध्याय––1

भूमिका

1.1– आय–व्ययक राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण वार्षिक वित्तीय अभिलेख है, जिसमे सरकार के विभिन्न स्त्रोतों से आय तथा व्यय की मदों की धनराशि का स्पष्ट उल्लेख रहता है। इसमे प्रदेश सरकार के समस्त वित्तीय लेन–देनो का पूर्ण विवरण प्रत्येक वर्ष आय–व्ययक स्मृति–पत्र और ब्योरेवार अनुमान एवं अनुदान में प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें क्रमागत तीन वर्षो, गत वर्ष के वास्तविक, चालू वर्ष के पुनरीक्षित तथा आय–व्ययक वर्ष के अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण दिया जाता है। इन अभिलेखों में संविधान के प्राविधानों एवं वैधानिक नियंत्रक की आवश्यकता के अनुसार समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों का वर्णन निर्धारित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत रहता है। इस प्रकार आय–व्ययक केवल वैधानिक नियंत्रण, प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं लेन–देनों के लेखा सम्परीक्षा सम्बंधी सीमित उद्देश्य की पूर्ति करता है।

1.2– पंचवर्षीय योजनाओं में इन वित्तीय आंकड़ों के प्रयोग का महत्व बढ़ने के साथ आय–व्ययक सम्बंधी आंकड़ों एवं तथ्यों के प्रस्तुतीकरण के विधि–विधान में काफी परिवर्तन एवं सुधार किये गये है। फिर भी आय–व्ययक में दिये गये आंकड़ों का वर्तमान प्रणाली से विभिन्न लेन–देनों के आर्थिक प्रभाव का सरलता से सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त नही हो पाता है। उदाहरणार्थ आय–व्ययक सम्बंधी संसाधनों से पूंजी निर्माण, राज्य सरकार की बचत, सरकार द्वारा राज्य आय में अंशदान, राज्य सरकार के आय–व्ययक सम्बंधी लेन–देनों से घाटे के परिणाम का ज्ञान, राज्य के आय–व्ययक से नही हो पाता है। इसी प्रकार कुछ विभागों द्वारा चलाये गये वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यवाहक व्यय से उत्पादन की लागत का बोध तो होता है किन्तु "अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं" पर किये गये व्यय का कोई संकेत नहीं मिलता है। अत: इसे राज्य सरकार के कुल व्यय में शामिल नहीं होना चाहिये ।

1.3– राज्य सरकार के आय–व्ययक में प्रस्तावित व्यय की मदों को मुख्यत: चालू खपत सम्बंधी व्यय, पूंजी निर्माण और वित्तीय निवेश आदि के रुप में बांटा जाता है। आय–व्ययक से इस बात का ज्ञान सुगमता से नहीं हो पाता है कि किसी विशेष योजना के अर्न्तगत चालू खपत सम्बंधी व्यय तथा पूंजी अथवा व्यवस्था सम्बंधी व्यय पृथक–पृथक कितना है। उदाहरण के लिये खपत सम्बंधी व्यय में प्रशासनिक व्यय के साथ–साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवस्था भी सम्मिलित रहती है जिसका विकास में उतना ही योगदान है जितना वस्तुगत पूंजी निर्माण का होता है। विकासशील अर्थ व्यवस्था में राजकीय व्यय का एक महत्वपूर्ण योगदान है अत: राजकीय लेनदेनों का अर्थ व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभाव एवं शेष अर्थ व्यवस्था के अन्य खण्डों से उपलब्ध तत्सम्बंधी

प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक हो जाता हैं। शेष अर्थ व्यवस्था से तात्पर्य राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य सभी संस्थाओं- जैसे- केन्द्रीय सरकार, अन्य राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, निजी वाणिज्यिक निगमों, कम्पनियों और व्यक्तियों से है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार के आय-व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण किया जाता है। आर्थिक वर्गीकरण में समस्त सरकारी व्योरेवार व्यय को पृथक करके उनको अर्थ पूर्ण आर्थिक श्रेणियों अर्थात् खपत, पूंजी निर्माण, वित्तीय निवेश आदि के रुप में वर्गीकृत किया गया है जबकि कार्य सम्बंधी वर्गीकरण में व्ययों को सम्बंधित योजनाओं जैसे प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक सेवाओं आदि के अन्तर्गत बांटकर दिया गया है।

1.4- उत्तर प्रदेश सरकार के आय-व्ययक सम्बंधी लेन-देनों के आर्थिक प्रभाव को सुगमता पूर्वक समझने के उद्देश्य से आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण सर्वप्रथम वर्ष 1965-66 में अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। वर्ष 1966-67 से आर्थिक वर्गीकरण के साथ-साथ प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से कार्य सम्बंधी वर्गीकरण भी आरम्भ किया गया। केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय का अर्थ प्रभाग, केन्द्रीय सरकार के आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण 1957-58 से तथा आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण वर्ष 1967-68 से कर रहा हैं।

1.5- इस प्रकाशन में अध्ययन का विषय क्षेत्र वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक के समान ही है, अर्थात् वर्ष 2010-2011 के लिये आय-व्ययक में दिये गये वर्ष 2008-2009 के वास्तविक व्यय, वर्ष 2009-2010 के पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक अनुमानों के विभिन्न मदों को पुनर्वर्गीकरण एवं पुनः समूहीकृत करके उनका विश्लेषण किया गया और उन्हें आर्थिक वर्गीकरण के साथ-साथ कार्यात्मक वर्गीकरण के रुप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

1.6- राज्य सरकार के समस्त लेन-देनों को वर्गीकृत एवं समूहीकृत करने हेतु केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रीति विधान को अपनाया गया है और भारत सरकार द्वारा गठित क्षेत्रीय लेखा समिति की अन्तिम रिपोर्ट में दी गई संस्तुतियों के आधार पर इसे संशोधित भी किया गया । वर्ष 1983-84 में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा आयोजित कार्यशाला में हुये विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुये पुस्तिका के विवरणों में आवश्यक संशोधन पुनः किये गये। उदाहरणार्थ परिवहन एवं संचार के अनुरक्षण एवं मरम्मत सम्बंधी व्यय का आधा पूंजीगत तथा आधा भाग खपत सम्बंधी व्यय माना गया। वर्गीकरण हेतु अपनायी गयी प्रणाली के अनुसार एक ओर चालू लेन-देन को पूंजीगत लेन-देन से पृथक किया गया तथा दूसरी ओर 'वस्तुओं और सेवाओं' में लेन-देन को अन्तरण से पृथक कर दिया गया। इसी प्रकार राजकीय प्रशासन से चालू लेन-देन विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के चालू लेन-देन से पृथक कर दिया गया क्योंकि राजकीय प्रशासन के 'वस्तुओं और

सेवाओं' पर चालू व्यय अन्तिम परिव्यय है जबकि वाणिज्यिक उपक्रमों के चालू व्यय अन्तर्वर्ती व्यय है- जैसे कच्चा माल, ईधन इत्यादि के मूल्य । इसी प्रकार शुद्ध विभागीय लेन-देन को भी 'वस्तुओं और सेवाओं' में लेन-देन एवं अन्तरणों से पृथक कर दिया गया।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधिकारियों से अगस्त, 1986 में हुये विचार विमर्श के अनुसार कार्य सम्बंधी वर्गीकरण की मदों में कुछ संशोधन किये गये जिसके अनुसार पूर्व वर्षो में प्रस्तुत मद-5 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवाओं को दो उपमदों "समाज कल्याण सेवायें" तथा "समाज सुरक्षा सेवाओं" में विभक्त कर दिया गया। मद-8.5 परमाणविक ऊर्जा की मद अतिरिक्त मद के रुप में जोड़ी गई । इसी प्रकार मद-9 अन्य सेवाओं को दो उपमदों "विपदा सहायता" तथा "अन्य विविध कार्य" में विभक्त कर प्रस्तुत किया गया।

राष्ट्रीय लेखा सलाहकार समिति की दिनांक 3 से 5 जून, 1987 की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार वर्गीकरण में कुछ मुख्य परिवर्तन किये गये। स्कूल के बच्चों को भोजन एवं पौष्टिक आहार पर किये गये व्यय तथा गुप्त सेवा व्यय को वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय न मानकर चालू अन्तरण माना गया तथा आर्थिक वर्गीकरण के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया। इसी प्रकार पशु स्वास्थ्य सेवाओं पर किये गये व्यय को कार्य सम्बंधी वर्गीकरण के अन्तर्गत आर्थिक सेवा न मानकर स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत वर्गीकरण किया गया। अभी तक सम्पूर्ण पेंशन राशि को सरकारी प्रशासन के अन्तर्गत माना जाता रहा था, जिसे अब सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के वेतन और मजदूरी पर हुये व्यय के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। इसे पुन: कार्य सम्बंधी वर्गीकृत मदों के वेतन और मजदूरी सम्बंधी व्यय के अनुपात में विभाजित किया गया। विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के चालू खाते में वस्तुओं और सेवाओं पर हुये व्यय में से किराये की राशि को अलग कर अतिरिक्त मद के रुप में प्रस्तुत किया गया।

1.7- राज्य सरकार के आय-व्ययक सम्बंधी समस्त लेन-देनों को निम्न 6 प्रमुख लेखाओं में पुनर्गठित किया गया है। प्रत्येक लेखा में दो पक्ष है- आय पक्ष तथा व्यय पक्ष

लेखा 1- वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण - सरकारी प्रशासन का चालू खाता।

लेखा 2- वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण - विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू खाता।

लेखा 3- वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण - सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता।

लेखा 4- वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन - सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता।

लेखा 5- वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन - सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता।

लेखा 6- सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूंजी समाधान खाता।

1.8- प्रस्तुत पुस्तिका में आय-व्ययक के कार्य सम्बंधी वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न मदों के अन्तर्गत वास्तविक व्यय एवं उसका प्रतिशत वितरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय के वास्तविक एवं प्रतिशत वितरण सम्बंधी वर्ष 1984-85, 1999-2000, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 तथा 2008-2009 के आकड़ों की तुलनात्मक स्थिति परिशिष्ट के रुप में दिखायी गयी है।

****

अध्याय-2

लेखा विवरण

2.1- आय-व्ययक सम्बंधी लेन-देन का पुनर्वर्गीकरण तथा पुनः समूहीकरण करके जिन 6 लेखाओं को प्रस्तुत किया गया है उन्हें देखने से स्पष्ट है कि लेखा-1 से 3 सरकार के वस्तुओं और सेवाओं तथा अन्तरणों के लेन-देन से सम्बंधित है। लेखा-1 के व्यय पक्ष में सरकार के खपत सम्बंधी व्यय तथा चालू अन्तरण का ब्यौरा दिया गया हैं, जिसमें खपत सम्बंधी व्यय के अन्तर्गत मजदूरी व वेतन एवं पेंशन तथा वस्तुओं और सेवाओं के क्रय को अलग-अलग दर्शाया गया हैं। इस लेखा के आय पक्ष में सरकार के प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, उद्यमों एवं सम्पत्तियों से आय, परिवारों से अन्तरण तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान का ब्यौरा दिया गया है। लेखा-2 में राज्य सरकार के विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे- वन, सिंचाई, दुग्ध विकास, राजकीय मुद्रणालय तथा उद्योग द्वारा उत्पादन व्यय एवं प्राप्ति का ब्यौरा दिया गया है। लेखा-3 में विभिन्न मदानुसार सरकारी प्रशासन व विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के पूंजी व्यय तथा पूंजी अन्तरण का विवरण दिया गया है।

2.2- लेखा- 4 से 6 तक सरकार के समस्त वित्तीय लेन-देनों का ब्यौरा दिया गया है जो शेष अर्थ व्यवस्था पर सरकार के शुद्ध वित्तीय दायित्वों को दर्शाता है। लेखा- 4 में वित्तीय परिसम्पत्तियों में शुद्ध वृद्धि सम्बंधी समस्त लेन-देनों को वर्गीकृत किया गया है जिसमें अंशकों में निवेश, पूंजी निर्माण हेतु ऋण एवं अग्रिम, चालू खपत हेतु ऋण एवं अग्रिम आदि सम्मिलित हैं। लेखा- 5 सरकार के वित्तीय दायित्वों को दर्शाता है। जिसमें सार्वजनिक ऋण, निक्षेप तथा विप्रेषण सम्मिलित किया गया है। लेखा- 6 सरकारी प्रशासन तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूंजी का समाधान खाता है। यह खाता लेखा- 3, 4, 5 की शुद्ध स्थिति का समावेश करते हुये राज्य सरकार के रोकड़ स्थिति से सम्बंधित समस्त लेन-देन के प्रभाव को दर्शाता है।

2.3- उपरोक्त 6 लेखा आगे के पृष्ठों पर दिये गये है।

****

उत्तर प्रदेश

लेखा

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण

व्यय	वास्तविक 2008-2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010	आय-व्ययक अनुमान 2010-2011
1	2	3	4
1- खपत सम्बंधी व्यय-	**3188261**	**4739341**	**5553704**
1.1- कर्मचारियों को प्रतिकर	**2836938**	**4351280**	**4997362**
(क) मजदूरी और वेतन	2181272	3261240	3778951
(ख) पेंशन	655666	1090040	1218411
1.2- वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध क्रय-	**351323**	**388061**	**556342**
(क) वस्तुओं और सेवाओं का क्रय*	553078	656186	856889
(ख) घटाइयें- वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय	201755	268125	300547
2- अन्तरण अदायगियां-	**3079049**	**3699911**	**4024802**
2.1- ब्याज	**1046510**	**1168043**	**1284772**
2.2- अनुदान-	**1182702**	**1363321**	**1451716**
(क) स्थानीय निकायों को	350421	356453	443489
(ख) सहकारी संस्थाओं को	0	0	0
(ग) शिक्षा संस्थाओं को	345994	372324	277149
(घ) अन्य संस्थाओं	486287	634544	731078
2.3- राज सहायता**	**604363**	**778014**	**814072**
2.4- अन्य चालू अन्तरण	**245474**	**390533**	**474242**
3- चालू खाते में बचत	913954	-259228	539496
4- योग	**7181264**	**8180024**	**10118002**

* 2008-2009, 2009-2010 एवं 2010-2011 में राजकीय मुद्रणालय की हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमश: 4395 लाख रु0, 5993 लाख रु0 एवं 7983 लाख रु0 के बराबर मानकर प्रशासनिक खपत सम्बंधी व्यय में शामिल कर लिया गया है।

** 2008-2009, 2009-2010 एवं 2010-2011 में वानिकी, उद्योग तथा सिंचाई प्रतिष्ठानों की हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमश: 241926 लाख रु0, 311047 लाख रु0 एवं 354735 लाख रु0 राज सहायता मान कर सम्मिलित कर लिया गया है।

सरकार

–1

–सरकारी प्रशासन का चालू खाता

(लाख रुपयों में)

राजस्व	वास्तविक 2008–2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009–2010	आय–व्ययक अनुमान 2010–2011
5	6	7	8
5– कर राजस्व–	**5925137**	**6698431**	**7783445**
5.1– प्रत्यक्ष कर	**1672743**	**1924497**	**2153815**
(क) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	636388	623703	698547
(ख) राज्य कर	1036355	1300794	1455268
5.2– अप्रत्यक्ष कर–	**4252394**	**4773934**	**5629630**
(क) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	235197	190941	233111
(ख) राज्य कर	4017197	4582993	5396519
6– उद्यमों और सम्पत्तियों से आय–	**34419**	**73028**	**110092**
6.1– विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से लाभ	10000	1000	1000
6.2– विनियोग से आय	4964	4954	14954
6.3– राज्य विद्युत परिषद् से ब्याज की प्राप्तियां	0	32884	32884
6.4– ब्याज की प्राप्तियां	5391	10112	10633
6.5– सम्पत्तियों से अन्य आय	14064	24078	50621
7– परिवारों से अन्तरण	44995	6108	7283
8– राजस्व अनुदान, अंशदान एवं शेष अर्थ व्यवस्था से वसूलियां	1176713	1402457	2217182
9– योग	**7181264**	**8180024**	**10118002**

उत्तर प्रदेश

लेखा

वस्तुओं और सेवाओं के लेन–देन और अन्तरण

व्यय	वास्तविक 2008–2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009–2010	आय–व्ययक अनुमान 2010–2011
1	2	3	4
1– मजदूरी और वेतन	162472	219826	294227
2– वस्तुएं और सेवाएं	73755	59397	66573
3– किराया	194	99	142
4– मरम्मत और अनुरक्षण	34868	34850	34068
5– ब्याज	32843	60119	60118
6– अवमूल्यन के लिये व्यवस्था	15	11	11
7– ग्रहीत लाभ	0	0	0
8– सरकारी प्रशासन के चालू खाते में अन्तरित लाभ	10000	1000	1000
9– योग	**314147**	**375302**	**456139**

सरकार

–2

–विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू खाता

(लाख रुपयों में)

राजस्व	वास्तविक 2008–2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009–2010	आय–व्ययक अनुमान 2010–2011
5	6	7	8
10– विक्रय से आय–	**304147**	**374302**	**455139**
(क) वन*	27789	38918	42461
(ख) सिंचाई **	270821	327744	402719
(ग) दूध सम्पूर्ति	0	0	0
(घ) राजकीय मुद्रणालय#	5537	7640	9959
(ङ) उद्योग ##	0	0	0
11– अवमूल्यन रक्षित निधि पर ब्याज	10000	1000	1000
12– योग	**314147**	**375302**	**456139**

*वानिकी द्वारा वर्ष 2008–2009, 2009–2010 एवं 2010–2011 में उठायी गयी हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमशः 597 लाख रु0, 8803 लाख रु0 एवं 10961 लाख रु0 सम्मिलित है।

**सिंचाई प्रतिष्ठानों द्वारा वर्ष 2008–2009, 2009–2010 एवं 2010–2011 में उठायी गयी हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमशः 241329 लाख रु0, 302244 लाख रु0 एवं 343774 लाख रु0 सम्मिलित है।

#राजकीय मुद्रणालय द्वारा वर्ष 2008–2009, 2009–2010 एवं 2010–2011 में उठायी गयी हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमशः4395 लाख रु0, 5993 लाख रु0 एवं 7983 लाख रु0 सम्मिलित है।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वर्ष 2008–2009, 2009–2010 एवं 2010–2011 में उठायी गयी हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमशः 0 लाख रु0, 0 लाख रु0 एवं 0 लाख रु0 सम्मिलित है।

उत्तर प्रदेश
लेखा
वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण

संवितरण	वास्तविक 2008-2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010	आय-व्ययक अनुमान 2010-2011
1	2	3	4
1- सकल पूंजी निर्माण-	**1816637**	**1908210**	**1646496**
(अ) - सरकारी प्रशासन द्वारा	**1570992**	**1650740**	**1281369**
1.1- भवन तथा अन्य निर्माण-	**1272411**	**1612920**	**1323611**
क- भवन निर्माण-	**336323**	**590127**	**290004**
(1)- नया परिव्यय	336323	590127	290004
(2)- नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	0	0	0
ख- अन्य निर्माण-	**936088**	**1022793**	**1033607**
(1)- नया परिव्यय	936088	1022793	1033607
(2)- नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	0	0	0
1.2- मशीन एवं उपकरण-	**59248**	**98417**	**90793**
(1)- नया परिव्यय	59248	98417	90793
(2)- नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	0	0	0
1.3- तालिकागत सामान में शुद्ध वृद्धि-	**239333**	**-60597**	**-133035**
(1)- निर्माण सम्बं धी सामान	4353	0	0
(2)- अन्न, उर्वरक आदि का भण्डार	234980	-60597	-133035
(ब) - वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा	**245645**	**257470**	**365127**
1.4- भवन तथा अन्य निर्माण-	**241971**	**253874**	**361811**
क- भवन निर्माण-	**749**	**2538**	**321**
(1)- नया परिव्यय	749	2538	321
(2)- नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	0	0	0
ख- अन्य निर्माण-	**241222**	**251336**	**361490**
(1)- नया परिव्यय	241222	251336	361490
(2)- नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	0	0	0
1.5- मशीन एवं उपकरण-	**2545**	**3596**	**3316**
(1)- नया परिव्यय	2545	3596	3316
(2)- नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	0	0	0
1.6- तालिकागत सामान में शुद्ध वृद्धि	**1129**	**0**	**0**
2- पूंजी अन्तरण-	**415522**	**195528**	**309866**
2.1- पूंजी अनुदान स्थानीय निकायों को	49461	0	0
2.2- पूंजी अनुदान अन्य को	366061	195528	309866
2.3- जमींदारों और जागीरदारों आदि को प्रतिकर	0	0	0
3- योग	**2232159**	**2103738**	**1956362**

सरकार

–3

–सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

(लाख रुपयों में)

	प्राप्तियां	वास्तविक 2008–2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009–2010	आय–व्ययक अनुमान 2010–2011
	5	6	7	8
4–	**सकल बचत–**	**913969**	**-259217**	**539507**
4.1–	सरकारी प्रशासन के चालू खाते में बचत	913954	-259228	539496
4.2–	विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से अवमूल्यन के लिये व्यवस्था	15	11	11
4.3–	विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का ग्रहीत लाभ	0	0	0
5–	**पूंजी अन्तरण–**	**247497**	**1232211**	**511330**
5.1–	सम्पदा शुल्क	0	0	0
5.2–	भारत सरकार तथा अन्य राज्यों से पूंजीगत अनुदान, अंशदान और प्राप्तियां	247497	1232211	511330
6–	**वस्तुओं और सेवाओं से सम्पूर्ण लेन–देन और अन्तरणों में शेष**	**1070693**	**1130744**	**905525**
7–	**योग**	**2232159**	**2103738**	**1956362**

उत्तर प्रदेश सरकार

लेखा-4

वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2008-2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010	आय-व्ययक अनुमान 2010-2011
1	2	3	4
क- व्यय-			
1- निवेश	**615976**	**586077**	**468110**
1.1- राजकीय उपक्रमों में	615976	586077	468110
1.2- अन्य उपक्रमों में	0	0	0
2- ऋण एवं अग्रिम-	**80701**	**129315**	**102526**
2.1- पूंजी निर्माण हेतु	**51265**	**45508**	**53162**
(क) सहकारिता को	0	0	0
(ख) स्थानीय निकायों को	18880	20000	22500
(ग) राज्य विद्युत परिषद को	0	0	0
(घ) सार्वजनिक उद्यमों को	15604	14000	18153
(ङ) अन्य को	16781	11508	12509
2.2- चालू खपत हेतु-	**29436**	**83807**	**49364**
(क) सहकारिता को	18257	53309	91
(ख) स्थानीय निकायों को	0	0	0
(ग) सार्वजनिक उद्यमों को	4769	10126	15001
(घ) अन्य को	6410	20372	34272
3- योग	**696677**	**715392**	**570636**
ख- आय-			
4- ऋणों की वसूलियां	77809	65767	67133
5- शेष-वित्तीय परिसम्पत्तियों में शुद्ध वृद्धि	618868	649625	503503
6- योग	**696677**	**715392**	**570636**

उत्तर प्रदेश सरकार

लेखा-5

वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2008-2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010	आय-व्ययक अनुमान 2010-2011
1	2	3	4
क- व्यय-			
1- सार्वजनिक ऋणों की वापसी-	**677649**	**788736**	**816496**
1.1- स्थायी ऋण	239658	263421	192586
1.2- केन्द्रीय सरकार से ऋण	119939	119977	130179
1.3- अन्य ऋण	318052	405338	493731
2- शेष-वित्तीय दायित्वों में शुद्ध वृद्धि	1675235	1243263	1207017
3- योग	**2352884**	**2031999**	**2023513**
ख- आय-			
4- सार्वजनिक ऋण	**1676003**	**2286474**	**2188533**
4.1- स्थायी ऋण	1269211	1387693	1316848
4.2- केन्द्रीय सरकार से ऋण	42094	128097	128097
4.3- अन्य ऋण	364698	770684	743588
4.4- अल्पकालीन ऋण (शुद्ध)	0	0	0
5 - अनिधिबद्ध ऋण (शुद्ध)	**294444**	**674284**	**707418**
6 - अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा (शुद्ध)	**-749**	**0**	**0**
7 - अन्य- ऋण, निक्षेप एवं विप्रेषण (शुद्ध)	**383186**	**-928759**	**-872438**
8 - योग	**2352884**	**2031999**	**2023513**

उत्तर प्रदेश सरकार

लेखा-6

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूंजी समाधान खाता

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2008-2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010	आय-व्ययक अनुमान 2010-2011
1	2	3	4
क- व्यय-			
1- वस्तुओं और सेवाओं के सब लेन-देन और अन्तरणों पर घाटा (सन्तुलनकारी मद , लेखा-3)	1070693	1130744	905525
2- वित्तीय परिसम्पत्तियों में शुद्ध वृद्धि (सन्तुलनकारी मद , लेखा-4)	618868	649625	503503
3- रोकड़ बाकी में वृद्धि	0	0	0
4- योग	**1689561**	**1780369**	**1409028**
ख- आय-			
5- वित्तीय दायित्वों में शुद्ध वृद्धि (सन्तुलनकारी मद , लेखा-5)	1675235	1243263	1207017
6- रोकड़ बाकी में कमी	14326	537106	202011
7- योग	**1689561**	**1780369**	**1409028**

अध्याय-3

सामंजस्य (रिकन्सिलियेशन)

आय-व्ययक (वित्तीय विवरणी) में दिये गये राजस्व और व्यय के योग आर्थिक वर्गीकरण में दिये गये योगों से नहीं मिलते है। उदाहरणार्थ सामान्य आय-व्ययक में वर्ष 2010-2011 के लिये राजस्व लेखा की प्राप्तियां 111620.61 करोड़ रुपये रखी गयी है जबकि इस वर्गीकरण के लेखा-1 में राजकीय प्रशासन का इस वर्ष के लिये चालू राजस्व 101180.02 करोड़ रुपये निकाला गया है। इसी प्रकार वर्ष 2010-2011 के लिये राजस्व लेखा से वाह्य राजकीय पूंजीगत व्यय 22942.96 करोड़ रुपये हैं, जबकि यही धनराशि इसी वर्गीकरण के लेखा-3 में 19563.62 करोड़ रुपये है। इस वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न अतिरेक तथा बचत आय-व्ययक में दिखाये गये अतिरेक एवं बचतों से भिन्न है। उदाहरणार्थ आय-व्ययक का राजस्व लेखा 554.40 करोड़ रुपये का बचत इंगित करता है, जबकि आर्थिक वर्गीकरण में राजकीय प्रशासन (लेखा-1) का चालू खाता 5394.96 करोड़ रुपये का बचत प्रदर्शित करता है। सामान्य आय-व्ययक के पुनः वर्गीकरण के परिणामस्वरुप उपरोक्त प्रकार की विषमताओं को देखते हुये यह आवश्यक हैं कि इन विषमताओं की व्याख्या की जाय। इसी उद्देश्य से आर्थिक वर्गीकरण के आंकड़ों का सामान्य आय-व्ययक में दिये गये राजस्व व्यय तथा पूंजी लेखा के आंकड़ों से सामन्जस्य प्रस्तुत किया गया है। यह सामन्जस्य प्राप्तियों और व्ययों के अपेक्षित अनुमान की तुलना के साथ-साथ पुनः वर्गीकरण में निहित समायोजनों को भी संक्षेप में प्रस्तुत करता है। यह सामन्जस्य अनुवर्ती सारणियों में दिखाया गया है।

****

सारणी- 3.1

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2008-2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010	आय-व्ययक अनुमान 2010-2011
1	2	3	4
चालू लेखा- राजस्व-			
1-राजस्व जैसा कि वित्तीय विवरण में दिखाया गया है	**7783073**	**9812440**	**11162061**
2- घटाइये-	**611809**	**1633337**	**976980**
(1) पूंजी लेखा में अतिरिक्त सम्पदा शुल्क	0	0	0
(2) भूमि और सम्पत्ति का विक्रय	9723	4308	3318
(3) वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय से प्राप्ति जिनकों व्यय में से घटा दिया गया	201755	268125	300547
(4) भारत सरकार से प्राप्त एवं पूंजी लेखा में अन्तरित पूंजी प्रकृति के अनुदान	247497	1232211	511330
(5) निधियों से प्राप्तियां	0	0	0
(6) रोकड़ शेष के विनियोजन खाते पर ब्याज	58153	4880	4360
(7) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की बिक्री से आय	57826	57262	92421
(8) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से ब्याज की प्राप्तियां	32843	60119	60118
(9) पेंशन सम्बंधी अंशदान और वसूलियों	4012	6432	4886
3- जोड़िये-	**10000**	**921**	**-67079**
(1) राजस्व अनुदान, अंशदान एवं वसूलियां जो राजस्व की प्राप्तियों के रूप में दिखाई गई	0	-4	-4
(2) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का लाभ	10000	1000	1000
(3) अन्य प्रकीर्ण मदें	0	-75	-68075
4- कुल समायोजन	**-601809**	**-1632416**	**-1044059**
5- आर्थिक वर्गीकरण में दिखाया गया राजकीय प्रशासन का चालू राजस्व (लेखा-1, मद-9)	**7181264**	**8180024**	**10118002**

सारणी– 3.2

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2008–2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009–2010	आय–व्ययक अनुमान 2010–2011
1	2	3	4
चालू लेखा– व्यय–			
1– वित्तीय विवरणों में दिखाये गये राजस्व सम्बंधी व्यय	**7596889**	**9613653**	**11106621**
2– घटाइये–	**1329579**	**1174322**	**1460036**
(1) वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय से प्राप्ति	201755	268125	300547
(2) ऋण कम करना अथवा उसके परिहार के लिये विनियोग	316379	486663	743628
(3) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से ब्याज की वसूलियों को प्राप्तियां न मानना	32843	60119	60118
(4) रोकड़ शेष विनियोजन खाता पर ब्याज	58153	4880	4360
(5) राजस्व लेखा में पूंजी जैसा व्यय	621148	169751	131923
(6) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू शुद्ध व्यय	57826	57262	92421
(7) पूंजी लेखा में लेखा पालन सम्बंधी अन्तरण	2138	2149	1571
(8) निधियों में अन्तरण (निधियों के अन्तरण के समायोजन के पश्चात्)	35325	118941	120582
(9) पेंशन सम्बंधी अंशदान और वसूलियां	4012	6432	4886
3– जोड़िये–	**0**	**-79**	**-68079**
(1) पूंजी लेखा में राजस्व जैसा व्यय	0	0	0
(2) राजस्व अनुदान, अंशदान एवं वसूलियां जो कि राजस्व प्राप्तियों के रूप में दिखाई गई	0	-4	-4
(3) अन्य प्रकीर्ण मदें	0	-75	-68075
4– कुल समायोजन	**-1329579**	**-1174401**	**-1528115**
5– आर्थिक वर्गीकरण में दिखाया गया राजकीय प्रशासन का चालू व्यय (लेखा–1, मद 1+2)	**6267310**	**8439252**	**9578506**

सारणी– 3.3

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2008–2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009–2010	आय–व्ययक अनुमान 2010–2011
1	2	3	4
पूंजी लेखा– व्यय–			
1– वित्तीय विवरण में दिखाया गया राजस्व से चुकाया जाने वाला पूंजीगत व्यय	**2234572**	**2522223**	**2294296**
2– घटाइये–	**625699**	**590385**	**471428**
(1) वित्तीय निवेश	615976	586077	468110
(2) पूंजी लेखा में राजस्व जैसा व्यय	0	0	0
(3) विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का चालू व्यय	0	0	0
(4) राजस्व प्राप्तियों में से भूमि और सम्पत्ति की विक्रय राशि को घटाया जाना	9723	4308	3318
3– जोड़िये–	**623286**	**171900**	**133494**
(1) राजस्व लेखे से चुकाया जाने वाला पूंजी व्यय	621148	169751	131923
(2) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के राजस्व लेखा से चुकाया जाने वाला पूंजीगत व्यय	2138	2149	1571
(3) वसूलियों के लिये बजट में व्यय को पूरा करना	0	0	0
(4) निधियों से अन्तरण	0	0	0
(5) अन्य प्रकीर्ण मदें	0	0	0
4– कुल समायोजन	**-2413**	**-418485**	**-337934**
5– आय–व्ययक के आर्थिक वर्गीकरण में दिखाया गया पूंजीगत व्यय (लेखा–3, मद–3)	**2232159**	**2103738**	**1956362**

अध्याय-4

कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष

4.1- गत पृष्ठों में वर्णित लेखाओं में प्रदेश की शेष अर्थ-व्यवस्था की तुलना में राज्य सरकार के लेन-देनों के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण से जिन महत्वपूर्ण निष्कर्षो का पता चलता है उनमें कुछ निम्नलिखित से सम्बंधित है:-

(क)- राज्य सरकार का कुल व्यय तथा अन्तिम परिव्यय;

(ख)- आय-व्ययक सम्बंधी साधनों में से पूंजी निर्माण और शुद्ध पूंजी निर्माण;

(ग)- राज्य सरकार की बचत;

(घ)-राज्य सरकार के आय-व्ययक सम्बंधी लेन-देनों में होने वाले घाटे के विभिन्न स्तर;

(ङ)- राज्य सरकार द्वारा आय सृजन।

(क) (1)- **कुल व्यय-**

4.1.1- वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक में विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कार्य चालन व्ययों को छोड़कर राज्य सरकार का अनुमानित कुल व्यय 120383.71 करोड़ रुपये है। यह व्यय 2009-2010 के पुनरीक्षित अनुमानों से 8457.56 करोड़ रुपये तथा 2008-2009 के वास्तविक खर्च से 29200.34 करोड़ रुपये अधिक है। व्यय के मुख्य मदों के अनुसार वितरण नीचे सारणी में दिया गया है:-

सारणी-4.1

(लाख रुपयों में)

व्यय की मदें	वास्तविक 2008-2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010	आय-व्ययक अनुमान 2010-2011
1	2	3	4
1- अन्तिम परिव्यय	5004898	6647551	7200200
(क)- राजकीय खपत सम्बंधी व्यय (देखिये, लेखा-1, मद-1)	3188261	4739341	5553704
(ख)- सकल पूंजी निर्माण (देखिये, लेखा-3, मद-1)	1816637	1908210	1646496
2- राज्य के शेष अर्थ-व्यवस्था में अन्तरण अदायगियां	3494571	3895439	4334668
(क)- चालू अन्तरण (देखिये, लेखा-1, मद-2)	3079049	3699911	4024802
(ख)- पूंजी अन्तरण (देखिये, लेखा-3, मद-2)	415522	195528	309866
3- राज्य की शेष अर्थ-व्यवस्था में वित्तीय निवेश और ऋण (शुद्ध)(देखिये, लेखा-4, मद-5)	618868	649625	503503
4- कुल व्यय (1 +2+3)	**9118337**	**11192615**	**12038371**

(क) (2) **अन्तिम परिव्यय**-

4.1.2- वर्ष 2010-2011 के लिये आय-व्ययक में 120383.71 करोड़ रुपये के अनुमानित कुल व्यय में से 72002.00 करोड़ रुपया या कुल व्यय का 59.8 प्रतिशत सरकार का अन्तिम परिव्यय है। 2009-2010 के पुनरीक्षित अनुमान एवं 2008-2009 के वास्तविक अन्तिम परिव्यय क्रमश: 66475.51 करोड़ रुपये एवं 50048.98 करोड़ रुपये है, जो कुल व्यय अर्थात् 111926.15 करोड़ रुपये एवं 91183.37 करोड़ रुपये का क्रमश: 59.4 एवं 54.9 प्रतिशत हैं। यह परिव्यय खपत और पूंजी निर्माण के लिये राज्य सरकार की वस्तुओं और सेवाओं की प्रत्यक्ष मांग को इंगित करते है। वर्ष 2010-2011 में कुल व्यय का शेष भाग 48381.71 करोड़ रुपये या 40.2 प्रतिशत अंश अन्तरण अदायगियां, वित्तीय निवेशों एवं ऋणों के रुप में शेष अर्थ-व्यवस्था को प्रदान करने के लिये अनुमानित हैं जो कि अन्य खण्डों से उनके चालू अथवा पूंजीगत प्राप्तियों को अनुपूरित करने के लिये हैं। कुल व्यय का शेष भाग वर्ष 2009-2010 (पुनरीक्षित अनुमान) और 2008-2009(वास्तविक) के लिये क्रमश: 45450.64 करोड़ रुपये तथा 41134.39 करोड़ रुपये तथा तत्सम्बंधी प्रतिशत क्रमश: 40.6 एवं 45.1 है।

(ख) (1)- **सकल पूंजी निर्माण**-

4.1.3- वर्ष 2010-2011 में राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रुप से कुल पूंजी निर्माण की धनराशि 16464.96 करोड़ रुपये आंकी गयी है, जो अन्तिम परिव्यय 72002.00 करोड़ रुपये का 22.9 प्रतिशत है। यह राशि वर्ष 2009-2010 के पुनरीक्षित अनुमानों से 2617.14 करोड़ रुपये एवं 2008-2009 के वास्तविक व्यय से 1701.41 करोड़ रुपये कम है।

(ख) (2)- **शुद्व पूंजी निर्माण**-

4.1.4- वर्ष 2010-2011 में राज्य सरकार द्वारा शुद्ध पूंजी निर्माण अर्थात् स्थिर परिसम्पत्तियों तथा तालिकागत सामानों के भण्डार में वृद्धि 16464.96 करोड़ रुपये होने का प्राविधान हैं। वर्ष 2009-2010पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार 19082.10 करोड़ रुपये तथा 2008-2009 के वास्तविक व्यय पर आधारित 18166.37 करोड़ रुपये थे। शुद्ध पूंजी निर्माण के विभिन्न वर्गो का विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है:-

सारणी-4.2

(लाख रुपयों में)

पूंजी निर्माण की मदें	वास्तविक 2008-2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010	आय-व्ययक अनुमान 2010-2011
1	2	3	4
1-भवन तथा अन्य निर्माण कार्य {देखिये, लेखा-3, मद-1.1 क(1)+ख (1)तथा 1.4 क (1) +ख(1)}	1514382	1866794	1685422
2- मशीन और उपकरण {देखिये, लेखा-3, मद-1.2 (1) व 1.5 (1) }	61793	102013	94109
3- तालिकागत सामान में वृद्धि (देखिये लेखा-3, मद-1.3 व 1.6)	240462	-60597	-133035
4- शुद्ध पूंजी निर्माण (1 +2+3)	**1816637**	**1908210**	**1646496**

(ख) (3)- **शुद्ध पूंजी निर्माण के लिये वित्तीय सहायता-**

4.1.5- राज्य सरकार द्वारा किये गये शुद्ध पूंजी निर्माण के अतिरिक्त राज्य की शेष अर्थ-व्यवस्था में शुद्ध पूंजी निर्माण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010-2011 के लिये 8311.38 करोड़ रुपये का प्राविधान है। यह सहायता 2009-2010 के लिये 8271.13 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) तथा 2008-2009 के लिये 10827.63 करोड़ रुपये (वास्तविक) थी। ऐसी सहायता के विभिन्न वर्गो का विवरण नीचे दिया गया है:-

सारणी-4.3

(लाख रुपयों में)

सहायता की मदें	वास्तविक 2008-2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010	आय-व्ययक अनुमान 2010-2011
1	2	3	4
1- पूंजी निर्माण के लिये अनुदान (देखिये, लेखा-3, मद-2.1 व 2.2)	415522	195528	309866
2- पूंजी निर्माण के लिये ऋण (देखिये लेखा-4, मद-2.1)	51265	45508	53162
3- निवेश (इन्वेस्टमेंट) (देखिये, लेखा-4, मद-1)	615976	586077	468110
4- शुद्ध पूंजी निर्माण के लिये कुल वित्तीय सहायता (1+2+3)	**1082763**	**827113**	**831138**

(ख) (4)- **राज्य सरकार के आय-व्ययक सम्बंधी साधनों से शुद्ध पूंजी निर्माण-**

4.1.6- पूर्व प्रस्तरों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा अपने आय-व्ययक सम्बंधी साधनों से पूंजी निर्माण के लिये वर्ष 2010-2011 में कुल मिलाकर 24776.34 करोड़ रुपये की व्यवस्था अनुमानित है। यह व्यवस्था 2009-2010 के लिये 27353.23 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) तथा 2008-2009 के लिये 28994.00 करोड़ रुपये (वास्तविक रकम) थी।

ये राशियां 120383.71 करोड़ रुपये, 111926.15 करोड़ रुपये और 91183.37 करोड़ रुपये के कुल व्ययों की क्रमश: 20.6 प्रतिशत, 24.4 प्रतिशत तथा 31.8 प्रतिशत है। इसकी संरचना नीचे तालिका में दिखाई गयी है:-

सारणी-4.4

(लाख रुपयों में)

शुद्ध पूंजी निर्माण के लिये आय-व्ययक सम्बंधी संसाधन	वास्तविक 2008-2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010	आय-व्ययक अनुमान 2010-2011
1	2	3	4
1- राज्य सरकार द्वारा शुद्ध पूंजी निर्माण (सारणी-4.2, मद-4)	1816637	1908210	1646496
2- शेष अर्थ व्यवस्था में शुद्ध पूंजी निर्माण के लिये वित्तीय सहायता (सारणी-4.3, मद-4)	1082763	827113	831138
3-आय-व्ययक सम्बंधी संसाधनों द्वारा शुद्ध पूंजी निर्माण (1 + 2)	**2899400**	**2735323**	**2477634**

(ग) **राज्य सरकार की बचत:-**

4.1.7- राज्य सरकार द्वारा 2010-2011 में राजकीय शुद्ध लाभ 5395.07 करोड़ रुपये अनुमानित है। वर्ष 2009-2010 के पुनरीक्षित अनुमानों में शुद्ध लाभ -2592.17 करोड़ रुपये तथा 2008-2009 में वास्तविक शुद्ध लाभ 9139.69 करोड़ रुपये था जैसा कि निम्न सारणी में दिखाया गया है:-

सारणी-4.5

(लाख रुपयों में)

बचत	वास्तविक 2008-2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010	आय-व्ययक अनुमान 2010-2011
1	2	3	4
1- चालू खाते की बचत (देखिये, लेखा-3, मद-4.1)	913954	-259228	539496
2- अवमूल्यन के लिये व्यवस्था (देखिये, लेखा-3, मद-4.2)	15	11	11
3- ग्रहीत लाभ (देखिये लेखा-3, मद-4.3)	0	0	0
4- राज्य सरकार की कुल बचत (1+2+3)	913969	-259217	539507
5- नवीकरण तथा प्रतिस्थापन पर व्यय (देखिये, लेखा-3)	0	0	0
6- राज्य सरकार की शुद्ध बचत (4-5)	**913969**	**-259217**	**539507**

(घ) **चालू प्राप्तियां (करेन्ट रिसीट्स):-**

4.1.8- वर्ष 2010-2011 के लिये चालू प्राप्तियों के आय-व्ययक अनुमान 101180.02 करोड़ रुपये हैं। वर्ष 2009-2010 के लिये पुनरीक्षित अनुमान 81800.24 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2008-2009 की वास्तविक प्राप्तियां 71812.64 करोड़ रुपये थी। इन चालू प्राप्तियों को आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जा सकता है:-

सारणी-4.6

(लाख रुपयों में)

चालू प्राप्तियां	वास्तविक 2008-2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010	आय-व्ययक अनुमान 2010-2011
1	2	3	4
1-करों से प्राप्तियां (देखिये, लेखा-1, मद-5)	5925137	6698431	7783445
2- उद्यमों एवं सम्पत्तियों से आय (देखिये, लेखा-1, मद-6)	34419	73028	110092
3- परिवारों से अन्तरण (देखिये, लेखा-1, मद-7)	44995	6108	7283
4- राजस्व अनुदान, अंशदान एवं शेष अर्थ-व्यवस्था से वसूलियां (देखिये, लेखा-1, मद-8)	1176713	1402457	2217182
5- चालू प्राप्तियां (1+2+3+4)	**7181264**	**8180024**	**10118002**

(ङ) **चालू खर्च (करेन्ट आउट गोंइग)-**

4.1.9- ऊपर दिखाई गई चालू प्राप्तियों के परिणाम की अपेक्षा वर्ष 2010-2011 के लिये आय- व्ययक में कुल 95785.12 करोड़ रुपये के चालू खर्चो की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था 2009-2010 के लिये 84392.52 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) एवं 2008-2009 के लिये 62860.11 करोड़

रुपये (वास्तवकि व्यय) की थी जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट है:-

सारणी-4.7

(लाख रुपयों में)

चालू व्यय	वास्तविक 2008-2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010	आय-व्ययक अनुमान 2010-2011
1	2	3	4
1- खपत सम्बंधी व्यय (देखिये, लेखा-1, मद-1)	2300221	4739306	5112536
2- अन्तरण अदायगियां (देखिये, लेखा-1, मद-2)	3985790	3699946	4465976
3- चालू खर्च (1+2)	**6286011**	**8439252**	**9578512**

(च) (1)- **आमदनी में घाटा (इन्कम डिफिसिट)**-

4.1.10- शुद्ध बचत की अपेक्षा शुद्ध निवेश की अधिकता राज्य सरकार की आय में घाटे को प्रदर्शित करता हैं, जिसका विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है:-

सारणी-4.8

(लाख रुपयों में)

शुद्ध निवेश एवं बचत	वास्तविक 2008-2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010	आय-व्ययक अनुमान 2010-2011
1	2	3	4
1- राज्य सरकार के शुद्व पूंजी निर्माण में निवेश (सारणी-4.2, मद-4)	1816637	1908210	1646496
2- राज्य सरकार की शुद्ध बचत (सारणी-4.5, मद-6)	913969	-259217	539507
3- राज्य सरकार की आय में घाटा (1-2)	**902668**	**2167427**	**1106989**

उपर्युक्त घाटा उस अन्तर को प्रकट करता है जो शुद्ध पूंजी अन्तरण के समायोजन पर्यन्त राज्य सरकार को राज्य में लिये जाने वाले वास्तविक ऋणों तथा वाह्य ऋणों से पूरा करना पड़ता है।

(च) (2)- **राज्य सरकार की वित्तीय आवश्यकतायें**-

4.1.11- उपर्युक्त घाटों में शुद्ध पूंजी अन्तरणों के समायोजन के उपरान्त राज्य सरकार के वित्तीय परिसम्पत्तियों में लेन-देन से उत्पन्न घाटे को जोड़ देने से प्राप्त योग सरकार की कुल वित्तीय आवश्यकता को प्रकट करती है। जो लेखा-3 एवं लेखा-4 में दिखाई गई सन्तुलनकारी मदों के योग से भी प्राप्त होता है। वर्ष 2010-2011 के लिये यह घाटा 14090.28 करोड़ रुपये है जो 2009-2010के पुनरीक्षित अनुमानों से 3713.41 करोड़ रुपये तथा 2008-2009 के वास्तविक घाटे से 2805.33 करोड़ रुपये कम है, जैसा कि निम्न सारणी से प्रकट है-

सारणी-4.9

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2008-2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010	आय-व्ययक अनुमान 2010-2011
1	2	3	4
1-राज्य सरकार की आय में घाटा (देखिये, सारणी-4.8, मद-3)	902668	2167427	1106989
2-शुद्ध पूंजी अन्तरण (देखिये, लेखा-3, मद-5 (-) मद-2)	-168025	1036683	201464
3-वस्तुओं और सेवाओं के सभी लेन-देन और अन्तरणों पर घाटा (1-2) (देखिये, लेखा-3,मद-6)	1070693	1130744	905525
4-वित्तीय परिसम्पत्ति (एसेट्स)में शुद्ध वृद्धि (देखिये, लेखा-4, मद-5)	618868	649625	503503
5- घाटा जो कुल वित्तीय आवश्यकता को प्रकट करता है (3+4)	**1689561**	**1780369**	**1409028**

(छ) (1)-**<u>वित्त व्यवस्था के स्त्रोत</u>** -

4.1.12- उपरोक्त घाटे को पूरा करने की वित्तीय व्यवस्था नीचे की सारणी में दिखाई गई है-

सारणी-4.10

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2008-2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010	आय-व्ययक अनुमान 2010-2011
1	2	3	4
1- शुद्ध ऋण (नेट बारोइंग)	1675235	1243263	1207017
1.1- स्थायी ऋण (शुद्ध) (परमानेंट डेट)	1029553	1124272	1124262
1.2- केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण (शुद्ध)	-77845	8120	-2082
1.3- अनिधिबद्ध ऋण (शुद्ध) (अनफण्डेड डेट)	294444	674284	707418
1.4- अन्य ऋण (शुद्ध) (अदर डेट्स)	46646	365346	249857
1.5- अन्य ऋण, निक्षेप एवं विप्रेषण (शुद्ध) (अदर डेट्स,डिपाजिट्स, रेमिटेन्सेज)	383186	-928759	-872438
1.6- अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा (शुद्ध)	-749	0	0
2- घाटे की वित्तीय व्यवस्था (डिपाजिट्स फाइनेन्सिग)	14326	537106	202011
2.1- अल्पकालीन ऋण में वृद्धि (शुद्ध) (इनक्रीज इनफलोटिंग डेट)	0	0	0
2.2- रोकड़ बाकी से निकास (विद्ड्राल)	14326	537106	202011
3- योग (1 +2) (देखिये सारणी-4.9, मद-5)	**1689561**	**1780369**	**1409028**

मद-2 के अर्न्तगत दी गई घाटे की वित्तीय व्यवस्था राज्य सरकार से आय-व्ययक सम्बंधी लेन-देनों का मुद्रा पूर्ति पर विस्तारक प्रभाव को केवल आंशिक रुप से प्रकट करती है।

(छ) (2)-**<u>वित्तीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का शुद्ध लाभ</u>**-

4.1.13- वर्ष 2010-2011 में सभी विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का शुद्ध लाभ 10.00 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया हैं। 2009-2010 के लिये पुनरीक्षित अनुमान 10.00 करोड़ रुपये आंका गया है। 2008-2009 में वास्तविक लाभ 100.00 करोड़ रुपये था ।

इन परिणामों से प्रतिष्ठानों की कार्य-प्रणाली पर वित्तीय परिणामों का पता चलता है। इसकी नाप का कार्य-चालित व्ययों की अपेक्षा कुल प्राप्तियों के अतिरेक द्वारा की जाती है। इनका अन्तरण राजकीय प्रशासन को कर दिया जाता है और उनके बचत में जोड़ दिया जाता है। शुद्ध लाभ की व्युत्पत्ति नीचे दिखाई गई है:

<u>सारणी-4.11</u>

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2008-2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010	आय-व्ययक अनुमान 2010-2011
1	2	3	4
1- कुल प्राप्तियां (देखिये, लेखा-2, मद-12)	314147	375302	456139
2- कार्य चालक व्यय (आपरेटिंग एक्सपेन्सेंज) (देखिये, लेखा-2, मद-1 से 6)	304147	374302	455139
3- शुद्ध लाभ (1-2)	**10000**	**1000**	**1000**

(ज) **<u>राज्य आय में अंशदान</u>:**-

4.1.14- राज्य सरकार की आय-व्ययक सम्बंधी कार्य वाहियों से 2010-2011 में कुल 49456.65 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान किया गया है। यह आय 2009-2010 में 43942.41 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) तथा 2008-2009 के लिये 31050.48 करोड़ रुपये थी। राज्य सरकार द्वारा उत्पादित कुल आय का विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है:-

<u>सारणी-4.12</u>

(लाख रुपयों में)

व्यय की मदें	वास्तविक 2008-2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010	आय-व्ययक अनुमान 2010-2011
1	2	3	4
1- सरकारी प्रशासन द्वारा दी गई मजदूरी और वेतन	2181272	3261240	3778951
2- विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का शुद्ध उत्पादन	222764	298381	372390
(अ) मजदूरी और वेतन (मरम्मत और अनुरक्षण कार्यो की मजदूरी सम्बंधी 50 प्रतिशत भाग सहित)	179906	237251	311261
(ब) ब्याज	32843	60119	60118
(स) लाभ (प्रशासन को अन्तरित और रखे गये लाभ नवीनीकरण और प्रतिस्थापन की अपेक्षा अवमूल्यन व्यवस्था का अतिरेक शामिल है)	10015	1011	1011
3- निर्माण कार्यो पर होने वाले राजकीय परिव्यय का मजदूरी और वेतन सम्बंधी भाग [लेखा-3 की मद-1.1 क (1) व 1.4 क (1)का एक- तिहाई भाग तथा 1.1 (ख) (1) व 1.4 (ख) (1) का आधा भाग]	701012	834620	794324
4- योग (1 + 2 + 3)	**3105048**	**4394241**	**4945665**

****

अध्याय-5

लेखाओं पर टिप्पणियां

लेखा-1

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण-सरकारी प्रशासन का चालू खाता

5.1- इस लेखा में राजकीय प्रशासकीय विभागों का चालू राजस्व और व्यय दर्शाये गये है। लेखा-2 के अन्तर्गत सम्मिलित विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी विभाग आर्थिक वर्गीकरण हेतु प्रशासकीय माने गये हैं। प्रशासकीय विभागों के चालू व्यय को राजकीय चालू खाते में अन्तिम परिव्यय के रुप में दिखलाया गया है जो कि राजकीय चालू खपत को दिखलाता हैं। प्रशासन के चालू व्यय में (1) अन्तिम परिव्यय और (2) अन्तरण अदायगियां (ट्रांस्फर पेमेन्ट) सम्मिलित है। अन्तरण अदायगियों द्वारा सरकार शेष अर्थ-व्यवस्था की निस्तारण योग्य आय "डिसपोजिविल इनकम" को अप्रत्यक्ष रुप से वृद्धि करती है। इन सम्पूर्ण व्ययों की पूर्ति करने के लिये विभिन्न करों, प्रकीर्ण प्राप्तियों, ऋणों, अनुदानों और केन्द्रीय सरकार से वसूलियों इत्यादि से होने वाले सामुदायिक आय के एक भाग के अतिरिक्त विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लाभों का सरकार विनियोग करती है। खपत सम्बंधी व्यय और चालू अन्तरण को पूरा करने के उपरान्त राजस्व का अधिशेष पूंजी निर्माण के लिये प्राप्त होने वाली सरकारी प्रशासन की बचत का द्योतक है।

मद 1.1 (क)- **"मजदूरी और वेतन"** में कार्मिको के वेतन, अधिष्ठान का वेतन, उनके भत्ते (यात्रा एवं दैनिक भत्तों के अतिरिक्त) व मानदेय सम्मिलित है। भत्तों और मानदेयों में महंगाई भत्ता, मानदेय, प्रतिकर भत्ता, मकान किराया सम्बंधी भत्ता, सवारी भत्ता और वर्दी भत्ता भी शामिल है। जहां यात्रा और अन्य भत्ते एकमुश्त दिये गये है वहां उनको दो सम्भागों में विभाजित कर दिया गया है। पूंजी निर्माणगत परियोजनाओं में कार्यरत् कर्मचारियों को मजदूरी और वेतन तथा पेंशन को निर्माण की लागत मानकर लेखा-3 के अन्तर्गत दिखाया गया है।

मद 1.1 (ख)- **"पेंशन"** के अन्तर्गत अधिवर्ष तथा सेवानिवृत्ति भत्ते, अनुकम्पा भत्ते तथा पारिवारिक पेंशन तथा पेंशनों की राशि मूल्य आदि सम्मिलित है।

मद 1.2- **"वस्तुओं और सेवाओं"** में राजकीय प्रशासन द्वारा वस्तुओं और सेवाओं जैसे- लेखन-सामग्री और मुद्रण व्यय, टेलीफोन सम्बंधी व्यय, विद्युत एवं जल सम्बंधी व्यय, वर्दी सम्बंधी व्यय, यात्रा व्यय, यात्रा एवं दैनिक भत्ते, मनोरंजन सम्बंधी व्यय, चिकित्सा एवं आहार सम्बंधी व्यय, पुस्तकें एवं सामयिक पत्रिकायें, अन्य सरकारों को दिया गया अधिष्ठान सम्बंधी व्यय, कच्चा माल और वाहनों का परिचलन व्यय सम्बंधी क्रय, मरम्मत और अनुरक्षण सम्बंधी व्यय, प्रासंगिक व्यय, शीर्षक के अन्तर्गत आकस्मिक श्रमिकों को मजदूरियों की अदायगी सम्मिलित है। राजकीय मुद्रणालय की हानियों का अभ्यारोपित मूल्य प्रशासन की खपत सम्बंधी व्यय मानकर इस मद में शामिल कर लिया है। निर्माणगत परियोजनाओं पर किया गया "वस्तुओं और सेवाओं" का अंश निर्माण की लागत मानकर लेखा-3 के अन्तर्गत दिखाया गया है। वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय से प्राप्तियों को व्यय में से घटा दिया गया है।

मद 2- **"अन्तरण अदायगियां"**-आर्थिक दृष्टिकोण से सरकार के व्यय तीन प्रकार के होते हैं-
1-खपत सम्बंधी व्यय, 2-पूंजीगत व्यय, 3-शेष अर्थ-व्यवस्था में अन्तरण (वर्गीकरण के पूंजीगत खाते में कुछ अन्तरण पूंजी निर्माण का स्वरुप लेते हैं। इस लिये आर्थिक वर्गीकरण के अन्तर्गत चालू अन्तरण को पूंजीगत अन्तरण

से भिन्न माना गया है) चालू अन्तरण को निम्न भागों में बांटा गया है- ब्याज का भ्ाुगतान, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान, राज सहायता एवं व्यक्तिगत रुप से अन्य चालू अन्तरण जो प्राप्तकर्ता की व्यक्तिगत आय बढ़ाते है। कभी-कभी सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज का भुगतान सरकार के चालू राजस्व से घटा दिया जाता है परन्तु वहां पर भुगतान घटाये नहीं गये है।

मद 2.1- "ब्याज" सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज तथा लेखा-2 मद-5 में दिखलाये गये वाणिज्यिक ऋण पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य ब्याज के अन्तर्गत भुगतान आते है। रोकड़ शेष के विनियोजन पर ब्याज कुल ब्याज से घटा दिया गया है क्योकि यह अन्तर विभागीय अथवा अन्तर खाते में अन्तरण है जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नही है।

मद 2.2- "अनुदान" को चार वर्गो में विभक्त किया गया हैं यथा- (1)स्थानीय निकायों को, (2) सरकारी संस्थाओं को, (3) शिक्षा संस्थाओं को तथा (4) अन्य संस्थाओं को "अन्य संस्थाओं" के अन्तर्गत उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं को तथा अलाभकारी संस्थाओं को दिये गये अनुदान आते है।

मद 2.3- "राज सहायता"-चालू खाते पर सभी अनुदानों को सम्मिलित करता है जो निजी उद्योग, सरकार से प्राप्त करते है उनका रुप या तो उत्पादको को सीधे भुगतान के रुप में होता है या सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों या क्रय और विक्रय के मूल्य में अन्तर के रुप में होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज सहायता उन अनुदानों को सम्मिलित करता है जो सरकार द्वारा सार्वजनिक निगमों को हानियों के क्षतिपूर्ति के रुप में दिया जाता है। सार्वजनिक निगमों के समस्त चालू अन्तरण चाहे वे मूल्य स्तर को बनाये रखने अथवा अन्य उद्देश्यों के लिये हों-"राज सहायता" के अन्तर्गत आते है1 विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उन हानियों को जिनकी राज सहायता से पूर्ति नहीं हो सकती है उनको सामान्य राजकीय खाते में ऋणात्मक घाटे के रुप में अन्तरित किया जाता है। वानिकी, उद्योग, सिंचाई तथा दुग्ध सम्पूर्ति के विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा उठाई गई हानियों को राज सहायता माना गया है।

मद 2.4- "अन्य चालू अन्तरण"- इस मद में परिवारों के खाते में किये गये भुगतान चालू अन्तरण के अन्तर्गत आते हैं जैसे- विशिष्ट तथा प्रशासनीय सेवाओं हेतु पेंशन, राजनैतिक तथा प्रादेशिक पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक भत्ते, छात्रवृत्तिया, अकाल पीड़ित व्यक्तियों को निशुल्क सहायता, पुरस्कार आदि आते हैं।

मद 3- "चालू खाते की बचत"- चालू खाते के अर्न्तगत व्यय की अपेक्षा प्राप्तियों का अधिशेष (सरप्लस) है।

मद 5-"कर राजस्व"- को दो भागों- (1)"प्रत्यक्ष कर" व (2)"अप्रत्यक्ष कर" में वर्गीकृत किया गया। "प्रत्यक्ष कर" में केन्द्रीय करों में निगम करों के अतिरिक्त राज्य का भाग कृषि सम्पत्ति पर कर, भू राजस्व तथा नगरीय भूमिकर सम्मिलित है। "अप्रत्यक्ष कर" में उत्पादकों पर उनके द्वारा किये गये उत्पादन पर लगाया गया कर, क्रय-विक्रय अथवा वस्तुओं सेवाओं का उपभोग जो कि उत्पादन के खर्च में सम्मिलित होते है, अप्रत्यक्ष कर के अन्तर्गत आते हैं। अप्रत्यक्ष कर के सामान्य उदाहरण निम्न है- आयात, निर्यात् व उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, मनोरंजन कर, बाजीकर (वेटिंग टैक्सेज),व्यवसाय लाइसेन्स तथा लेन-देन (स्टाम्प) कर तथा भू-सम्पत्ति एवं भूमिकर ।

मद 6-"सम्पत्ति और उद्यमों से आय"-इस मद में प्रशासन को अन्तरित विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से लाभ तथा भवनों अथवा अन्य सम्पत्तियों से प्राप्तियां, ब्याज तथा लाभांश से प्राप्त धनराशि सम्मिलित है।

मद 7-"परिवारों से अन्तरण" इस मद के अन्तर्गत वे भुगतान जो परिवारों और निजी अलाभकारी संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार को नियंत्रित तथा सामाजिक सेवाओं के व्यय हेतु मुख्यत: सरकारी एजेन्सीज के द्वारा लिया जाता हैं, सरकारी एजेन्सी द्वारा नियन्त्रित व्यय नियन्त्रित कार्यो और उन सेवाओं हेतु जिनके लिये कोई और प्राइवेट क्षेत्र समतुल्य उपलब्ध नही है, के सम्बंध में हैं। ऐसी सेवायें अधिकांश रुप से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। क्योंकि यह अनिवार्य अधिकार के प्रयोग पर निर्भर करता है। परिवारों द्वारा इस प्रकार व्ययों के उदाहरण जन्म-मृत्यु, विवाह के लिये पंजीकरण फीस, कोर्ट फीस, जुर्माने और दण्ड आदि हैं । जो राज्य सरकार के बजट के विभिन्न राजस्व शीर्षकों के अन्तर्गत दिखलाये गये है।

मद 8-"राजस्व अनुदान, अंशदान एवं वसूलियां"-इस मद के अन्तर्गत चालू अन्तरण से प्राप्तियों जो कि संघीय सरकार तथा अन्य संस्थाओं से संगत होती है, सम्मिलित की जाती है। अन्तरण जो उत्पादन अथवा खपत की आर्थिक रुप से घोषित करने हेतु उपयोग किये जाते हैं, उनको चालू अन्तरण में वर्गीकृत किया गया है।

लेखा-2

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण-विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू खाता

5.2- यह लेखा विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन एवं अन्तरणों को प्रकट करता हैं। प्रतिष्ठान मुख्यत: विक्रय हेतु वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगे हुये है। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा सामान इत्यादि का क्रय अर्न्तवर्ती व्यय (जैसे कच्चा माल एवं ईधन सम्बंधी मूल्य इत्यादि) और ये प्रशासकीय विभागों द्वारा किये गये अन्तिम परिव्यय से बिल्कुल भिन्न है। यह लेखा विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लाभ और हानि के विवरण को प्रकट करता है। इनमें सन्तुलनकारी मद अधिशेष है जिससे लेखा-1 प्राप्ति पक्ष को अग्रनीत किया जाता है।

आर्थिक वर्गीकरण के उद्देश्यों से निम्नलिखित को विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान माना गया है:-

(1) वन,
(2) सिंचाई,
(3) मुद्रणालय,
(4) उद्योग-
  (क)- सूक्ष्म उपयन्त्र निर्माण शाला, लखनऊ।
  (ख)- अन्य
(5) दुग्ध सम्पूर्ति

इन विभागों के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के व्यय को वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, वस्तुओं और सेवाओं, किराया, मरम्मत और अनुरक्षण, ब्याज, अवमूल्यन के लिये व्यवस्था तथा ग्रहीत लाभ में वर्गीकृत किया गया है। शेष जो इन प्रतिष्ठानों का लाभ है राजकीय प्रशासन को वित्तीय प्रबन्ध हेतु अन्तरित कर दिया जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इन प्रतिष्ठानों के लेन-देन के सभी पहलुओं का परावर्तन प्रस्तुत लेखाओं में नही होता।

आय–व्ययक के लेखा पालन का रुप वित्तीय वर्ष की अवधि में मुख्यत: वास्तविक रोकड़ प्राप्तियां तथा संवितरण प्रदर्शित करता है और भण्डारण स्थिति पर प्रकाश नही डालता। इसके अतिरिक्त इसमें अर्जित और देय धनराशियों का भी संकेत नही रहता है। इस प्रकार रोकड़ाधार पद्धति (कैश बेसिस सिस्टम) राजकीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को समस्त चित्रण करने में पूर्णत: समर्थ नही है। इसलिये इसका वास्तविक परावर्तन आय–व्ययक में तथा इसके फलस्वरुप आर्थिक वर्गीकरण में नही हो पाता।

लेखा–3

वस्तुओं और सेवाओं के लेन–देन और अन्तरण–सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

5.3– यह लेखा शेष अर्थ–व्यवस्था में निजी निर्माण सहित सरकारी प्रशासन तथा विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुगत परिसम्पत्तियों (फिजिकल ऐसेट्स) के निर्माण को व्यक्त करने वाले कुल पूंजी परिव्यय से सम्बंधित है। पूंजी निर्माण पर सम्पूर्ण परिव्यय राष्ट्रीय उत्पत्ति पर एकभार है जिसको वहन करने के लिये सरकार को साधनों की खोज अपनी बचत अथवा निजी बचतों से आहरण द्वारा करनी पड़ती है इनमें सन्तुलनकारी मद घाटा प्रकट करती है जिसको ऋण लेकर अथवा रोकड़ बाकी के उत्सारण से पूरा करना होता है।

मद–1– "सकल पूंजी निर्माण"–सरकारी प्रशासन तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के अन्तर्गत दो भागों में विभक्त किया गया है–

(1) भवन तथा अन्य निर्माण कार्य

(2) मशीन एवं उपकरण

प्रत्येक विभाग को निम्न उपवर्गो में वर्गीकृत किया गया–

(क) नया परिव्यय

(ख) नवीकरण एवं प्रतिस्थापन

मद 1.1 (क) व 1.4 (क)– इन मदों में भवन निर्माण कार्यो, आवास कार्यालयों तथा अन्य प्रयोजनों के लिये भवनों के मूल निर्माण–कार्य दिखलाये गये है।

मद 1.1 (ख) व 1.4 (ख)– इन मदों के अन्तर्गत परिवहन एवं दूर संचार, विद्युत शक्ति एवं सिंचाई, बांध एवं जल निकास, जल पूर्ति एवं सफाई, भूमि सुधार एवं वृक्षारोपण तथा अन्य निर्माण कार्यो पर सम्पूर्ण व्यय सम्मिलित है।

पूंजी निर्माणगत परियोजनाओं में कार्यरत् कर्मचारियों को प्रदत्त मजदूरी और वेतन एवं इस प्रकार की परियोजनाओं के सम्बंध में वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया व्यय निर्माण की लागत का ही अंशमान कर तद्नुसार लेखा–3 के अन्तर्गत दिखाया गया है। व्यय भवन अथवा अन्य निर्माण–कार्यो के अनुपात में बांट दिये गये हैं।

मद 1.2 व 1.5– "मशीनें और उपकरणों" मशीनों और उपकरण, उपस्कर एवं निरोप (फर्नीचर एण्ड फिक्सचर) व साधित्र (आपरेटस) औजार एवं संयत्र (टूल्स एवं प्लान्ट्स) और वाहन समाविष्ट है।

मद 1.3 व 1.6–"तालिकागत समान में वृद्वि(इनक्रीज इन इन्वेन्ट्रीज)"– (1) निर्माण सम्बंधी सामान और (2) अन्न उवर्रको इत्यादि भण्डार को शुद्ध वृद्धि अथवा ह्रास दिखाया गया है।

मद–2– पूंजी अन्तरण में स्थानीय निकायों तथा औरों की पूंजी निर्माण के लिये अनुदान उदाहरणार्थ पुन: ग्रहीत भूमि (रिज्यूम्ड लैण्ड्स) के बदले में पेंशन, वक्फी तथा न्यासी (ट्रस्ट) की देय वार्षिक वृत्तियां, अधिकतम् जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अधीन प्रतिकर इत्यादि सम्मिलित है।

मद–4 व 5–**"पूंजी निर्माण"** हेतु उपलब्ध प्राप्तियों में लेखा 1 व 2 से अग्रनीत चालू खातेदार पर कुल बचत, सम्पदा शुल्क, जायदादों की बिक्री तथा केन्द्रीय सरकार से पूंजीगत अनुदान एवं वसूलियां सम्मिलित है। सम्पदा शुल्क को इस धारणा पर कि यह पूंजी देय है, इस सेवा में शामिल किया गया है।

लेखा–4

वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

5.4– यह लेखा राजकीय वित्तीय परिसम्पत्तियों में वास्तविक परिवर्तन प्रकट करता है। इसमें औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में वित्तीय निवेशों का लेन–देन (अर्थात् शेयरों में लगाई पूंजी) और शेष अर्थ–व्यवस्था के लिये स्वीकृत ऋण एवं अग्रिम घनराशि सम्मिलित है। पूंजी निर्माण के लिये ऋण राज्य सरकार द्वारा शेष अर्थ–व्यवस्था में पूंजी निर्माण की प्रोन्नत के लिये प्रयासों का द्योतक है। खाते में सन्तुलनकारी मद घाटा है जिसकी लेखा–3 के घाटे में जोड़ने से सरकार की कुल वित्तीय आवश्यकता ज्ञात होती है। इसकी पूर्ति ऋण लेकर अथवा राजकीय रोकड़ वाकी में समायोजन द्वारा होती है।

मद–1– **"निवेशों में"** राजकीय तथा निजी वाणिज्यिक उपक्रमों और वस्तुगत एवं परिसम्पत्तियों में लगााई गई धनराशि आती है।

मद–2.1– **"पूंजी निर्माण के लिये ऋण एवं अग्रिम"** से पूंजीगत परिसम्पत्तियों जैसे सिंचाई सुविधाओं का निर्माण, औद्योगिक गृह निर्माण योजनाओं, जलकलों इत्यादि के लिये ऋण एवं अग्रिम शामिल है।

मद–2.2– **"अन्य प्रयोजनों हेतु ऋणों"** में चालू खपत के लिये कृषक को ऋण, मकानों की मरम्मत के लिये ऋण, छात्रों को ऋण, सवारियों के क्रय हेतु अग्रिम तथा ऋण सम्मिलित हैं।

लेखा–5

वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

5.5– यह लेखा राजकीय दायित्वों को चित्रित करता है। आमदनी द्वारा वित्तीय दायित्वों में वृद्धि तथा खर्च से दायित्वों में कमी का ज्ञान होता है। खर्च के ऊपर आमदनी का अतिरेक, वित्तीय दायित्वों में शुद्ध वृद्धि को प्रदर्शित करता है। यह वृद्धि भौतिक तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु अतिरिक्त व्यय के कारण होती है। लेखा–3 व 4 से उत्पन्न घाटे की वित्तीय व्यवस्था सरकार द्वारा ओढ़े गये दायित्वों में परिवर्तन करने तथा रोकड़वाकी यदि कोई हो, के उपयोग से भी की जाती है।

इन घाटो की पूर्ति विभिन्न विभागीय निधियों (फण्ड्स) एवं निवेशों (डिपाजिट्स) से तथा शेष अर्थ–व्यवस्था से खींच कर की जाती है।

इस लेखा में स्थायी ऋणों, केन्द्रीय सरकार से ऋणों तथा अन्य ऋणों के कुल रुप में अल्प कालिक ऋण (फ्लोंटिंग डेट्स) अनिधिबद्ध ऋण (अनफण्डेड डेट्स) ऋणों और विप्रेषित राशियों (रेमीटेन्सेज) को शुद्ध रुप में दिखाया जाता है।

लेखा-6

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूंजी समाधान खाता

5.6- यह लेखा राज्य सरकार के सभी लेन-देनों का उनके रोकड़ स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रकट करते हुये लेखा-3, 4 व 5 के सम्बंध में वस्तुस्थिति का संक्षेपण करता है। लेखा-3 वस्तुओं और सेवाओं तथा अन्तरणों के सभी वास्तविक लेन-देनों के सम्बंध में यथार्थ स्थिति बताता है तो लेखा-4 व 5 क्रमशः वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय दायित्वों के सम्बंध में वास्तविक स्थिति को प्रकट करते है।

****

भाग-2

कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

अध्याय-6

(।) आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

6.1- इस अध्याय में आर्थिक दृष्टिकोण एवं कार्य के आधार पर राज्य सरकार के व्ययों को दो विभिन्न वर्गीकरणों का एक ही अन्त: वर्गीकरण आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी में संयुक्त कर प्रस्तुत किया गया है । यह संयुक्त वर्गीकरण बताता है कि किस प्रकार किसी विशेष प्रयोजन-जैसे- कृषि के लिये व्ययों को आर्थिक वर्गो अर्थात् वस्तुओं और सेवाओं पर चालू व्यय, पूंजी निर्माण तथा विभिन्न प्रकार के अन्तरणों और ऋणों में विभाजित किया जा सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि किसी प्रकार किसी विशेष आर्थिक वर्ग जैसे- पूंजी निर्माण के लिये व्यय को विभिन्न प्रयोजनों अथवा सरकार द्वारा व्यवस्थित सेवाओं के अनुसार वितरित किया गया है। राजकीय आय-व्ययक सम्बंधी व्ययों का ऐसा अन्त: वर्गीकरण कई वर्षो की अवधि के कार्यक्रम को चित्रित करने तथा वास्तविक व्यय की प्रगति का मूल्यांकन करने के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अर्थ-व्यवस्था के सम्पूर्ण राजकीय खण्ड पर लागू करने से आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण की सूचनात्मक उपयोगिता पर्याप्त रुप से बढ़ जाती है।

(।।) कार्य सम्बंधी वर्गीकरण के सिद्धान्त

6.2- लेखा पालन के उद्देश्य से धनराशि को खर्च करते समय व्यय के तात्कालिक मद जैसे- मजदूरी और वेतन, वस्तुएं और सेवाएं, अन्य निकायों को अनुदान, ऋण इत्यादि के अनुसार व्यय को नियत किया जाता है। आर्थिक वर्गीकरण में व्यय के इन प्राथमिक मदों को उसकी आर्थिक आकृति के अनुसार वर्गीकृत करता है। इसी प्रकार कार्य के आधार पर वर्गीकरण इन मदों द्वारा प्रतिपादित विशेष उद्देश्य के अनुसार उसका गठन करता है। कार्य सम्बंधी वर्गीकरण का व्यय तात्कालिक अथवा अल्पकालिक उद्देश्यों से की गई सेवाओं के अनुसार राजकीय व्यय को प्रकट करता है जो विशेष प्रकार की सेवाओं पर किये गये सार्वजनिक व्यय के सम्बंध में जानकारी कराता है।

6.3- कार्य सम्बंधी वर्गीकरण में विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों (कामर्शियल अण्डरटेकिंग्स) के चालू व्यय सम्मिलित नही किये गये है क्योंकि इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय अधिकांश राजकीय खण्ड (गवर्नमेंट सेक्टर) से बाहर किया जाता है। इन प्रतिष्ठानों में वस्तुओं और सेवाओं पर चालू व्यय एक अन्तर्वर्ती व्यय (इण्टरमीडिएट एक्सपेण्डीचर) है जो उत्पादक व्यय का द्योतक है न कि सरकार द्वारा व्यवस्थित अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं पर किये गये व्यय का है। कार्य सम्बंधी वर्गीकरण में सामान्यत: प्राप्तियां सम्मिलित नही है, केवल वे प्राप्तियां ही सम्मिलित है जो किसी वस्तु और सेवाओं पर व्यय को उस सीमा तक कम कर देती है। इनके उदाहरण है- विक्रय से प्राप्तियां अथवा इसी प्रकार की वसूलियां, अन्य सभी प्राप्तियां जिनमें कर तथा ऋण सम्मिलित है, सामान्य संहत निधि के अंश समझे जाते है और उनमें से सभी प्रकार के व्यय की व्यवस्था की जाती है।

6.4- आय-व्ययक में दिये गये वर्गीकरण का पूर्णतया अनुसरण न करते हुये व्यय की सम्पूर्ण मदों को

कार्य के आधार पर व्यापक वर्गो में वर्गवद्ध किया गया है। इस प्रकार कार्य सम्बंधी वर्गीकरण में शिक्षा पर सभी व्ययों को शिक्षा उप शीर्षक के अन्तर्गत ही रखा गया हैं । आय-व्ययक में यह चाहे कही भी दिखाया गया हो। इस सिद्वान्त का अपवाद वे शिक्षा सम्बंधी कार्य-कलाप, जो सरकार की अन्य सेवाओं के अभिन्न अंग है, जैसे "पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय" पुलिस शीर्षक में तथा "बाल सुधार विद्यालय" कारागार शीर्षक के अन्तर्गत रखे गये है। पुन: आय-व्ययक के कुछ शीर्षक जैसे- सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, प्रकीर्ण सेवायें, सामान्य सेवायें प्रकीर्ण सामाजिक तथा विकास सम्बंधी संगठन, सार्वजनिक निर्माण कार्य, ऋण इत्यादि के अन्तर्गत व्ययों को विभाजित करके कार्य के आधार पर वर्गीकरण के उचित शीर्षक के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया गया है। सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान में सम्बंधित व्ययों का सम्बंधित कार्य भार शीर्षकों में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किये गये कार्यो पर व्यय के अनुपात में विभाजित कर दिया गया है।

6.5- उपरोक्त दृष्टिकोण से व्यय की विभिन्न मदो को कार्य के आधार पर मुख्यत: निम्न नौ भागों में बांटा गया है-

(1) सामान्य सेवायें
(2) सुरक्षा
(3) शिक्षा
(4) स्वास्थ्य
(5) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें
(6) आवास एवं सामुदायिक सेवायें
(7) सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें
(8) आर्थिक सेवायें
(9) अन्य सेवायें

इन सेवाओं की विषय-वस्तु का उल्लेख अध्याय-7 में किया गया है।

(।।।) सारणी

6.6- सारणी 6.1, 6.2 तथा 6.3 में उत्तर प्रदेश के क्रमश: वर्ष 2008-2009(वास्तविक), 2009-2010 (पुनरीक्षित) तथा 2010-2011 (आय-व्ययक) के लिये व्यय का आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। इन सारणियों में व्यय की आर्थिक एवं कार्य दोनों दृष्टिकोण के साथ-साथ वर्गीकृत किया गया है। कार्य वर्गीकरण के मुख्य नौ भाग है जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। आर्थिक वर्गीकरण के व्यापक वर्ग चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय है। कुल व्यय में वित्तीय परिसम्पत्ति में लगाई गई पूंजी तथा सार्वजनिक ऋण की अदायगी भी शामिल है, दूसरा तरीका यह हो सकता था कि कुल व्यय में सार्वजनिक ऋणों की अदायगियों को शामिल न किया जाता और वित्तीय निवेशों को शुद्ध रुप में प्रकट किया जाता। क्योंकि हमें सार्वजनिक ऋणों की अदायगियों के साथ-साथ दिये गये ऋण के परिणाम जानने की आवश्यकता रहती है इस लिये इन मदों को कुल व्यय में सम्मिलित कर लिया गया है।

6.7- सारणी 6.4 व 6.6 में क्रमश: आर्थिक वर्गो तथा कार्य सम्बंधी वर्गो के कुल व्यय के वितरण तथा 6.5 व 6.7 में क्रमश: उनके प्रतिशत वितरण की स्थिति प्रस्तुत की गई है। सारणी 6.8 में विकासगत तथा अविकासगत व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया हैं।

6.8- आगे के पृष्ठों पर सारणी दी गई है।

सारणी

आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

कार्य सम्बंधी / आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
	खपत सम्बंधी चालू व्यय	घटाये (-) वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1- सामान्य सेवायें	**951512**	**17557**	**933955**	**0**	**2867**	**19860**	**350421**	**1307103**
1.1- सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	**950562**	**17316**	**933246**	**0**	**1705**	**19382**	**350421**	**1304754**
1.1.1- सामान्य प्रशासन	640050	5446	634604			1109		635713
1.1.2- करों की उगाही का व्यय	107311	327	106984			15346		122330
1.1.3- न्याय	65266	264	65002			98		65100
1.1.4- कारागार	23120	40	23080			2		23082
1.1.5- पुलिस	15474	9204	6270			186		6456
1.1.6- अन्य सामान्य सेवायें	99341	2035	97306		1705	2641	350421	452073
1.2- सामान्य शोध	950	241	709		1162	478		2349
2- सुरक्षा	**33295**	**88**	**33207**			**2705**		**35912**
3- शिक्षा	**1359886**	**105722**	**1254164**	**0**	**499**	**548337**	**0**	**1803000**
3.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	39618		39618			2481		42099
3.2- स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें	1320268	105722	1214546		499	545856		1760901
4- स्वास्थ्य	**246807**	**51347**	**195460**	**0**	**0**	**1422**	**0**	**196882**
4.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	34593		34593			22		34615
4.2- अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	212214	51347	160867			1400		162267
5- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	**302112**	**4197**	**297915**	**0**	**55006**	**324520**	**0**	**677441**
5.1- समाज कल्याण सेवायें	298278	4197	294081		54732	161535		510348
5.2- समाज सुरक्षा सेवायें	3834		3834		274	162985		167093
6- आवास एवं सामुदायिक सेवायें	**61204**	**25**	**61179**		**39340**	**51612**		**152131**
7- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	**9344**	**2339**	**7005**			**2781**		**9786**

– 6.1

2008–2009 (वास्तविक व्यय)

(लाख रुपयों में)

पूंजीगत व्यय										
कुल स्थिर पूंजी निर्माण		पूंजी अन्तरण			ऋण और अग्रिम					
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य	मशीने एवं उपकरण	स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	पूंजी शेयरों में निवेश	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	कुल पूंजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39742	**36862**	**1979**	**0**	**72784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151367**	**1458470**
22658	**36852**	**1979**	**0**	**72784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134273**	**1439027**
17891	2984	1979							22854	658567
217	1205								1422	123752
-13	695								682	65782
106	20877								20983	44065
14059	10249								24308	30764
-9602	842			72784					64024	516097
17084	10								17094	19443
0	**43**								**43**	**35955**
47162	**5646**	**0**	**0**	**27654**	**0**	**0**	**130**	**0**	**80592**	**1883592**
103	88								191	42290
47059	5558			27654			130		80401	1841302
109328	**1492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110820**	**307702**
	175								175	34790
109328	1317								110645	272912
203938	**3032**	**0**	**0**	**9**	**574**	**0**	**0**	**0**	**207553**	**884994**
159212	1815			9	574				161610	671958
44726	1217								45943	213036
165614	**1039**		**35986**	**240097**		**18880**	**16682**		**478298**	**630429**
102786	**129**		**13475**				**60**		**116450**	**126236**

सारणी

आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

कार्य सम्बंधी / आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
	खपत सम्बंधी चालू व्यय	घटाये (-) वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8- आर्थिक सेवायें	**424988**	**20480**	**404508**	**0**	**506651**	**126223**	**0**	**1037382**
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	23953	1624	22329		19767	2814		44910
8.2- कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	189058	7753	181305		334458	10787		526550
8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण	16856	5282	11574		6975	50932		69481
8.4- विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	505	4609	-4104		138244	61620		195760
8.5- परमाणविक ऊर्जा	0		0					0
8.6- परिवहन एवं संचार	183710	777	182933			58		182991
8.7- अन्य आर्थिक सेवायें	10906	435	10471		7207	12		17690
9- अन्य सेवायें	**868**	**0**	**868**	**1046510**	**0**	**295**	**0**	**1047673**
9.1- विपदा सहायता	845		845			283		1128
9.2- अन्य विविध कार्य	23		23	1046510		12		1046545
योग	**3390016**	**201755**	**3188261**	**1046510**	**604363**	**1077755**	**350421**	**6267310**

– 6.1

2008–2009 (वास्तविक व्यय)

(लाख रुपयों में)

पूंजीगत व्यय										
कुल स्थिर पूंजी निर्माण			पूंजी अन्तरण			ऋण और अग्रिम				
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य	मशीने एवं उपकरण	स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	पूंजी शेयरों में निवेश	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	कुल पूंजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
842852	**13546**	**238483**	**0**	**25517**	**615402**	**0**	**44949**	**0**	**1780749**	**2818131**
1260	3247						10498		15005	59915
280646	3728	5759		3445	409				293987	820537
-555	134			253	284		31286		31402	100883
3950				21819	613237				639006	834766
									0	0
557551	6425	426			1000				565402	748393
	12	232298			472		3165		235947	253637
2960	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**677649**	**680613**	**1728286**
2924	4								2928	4056
36								677649	677685	1724230
1514382	**61793**	**240462**	**49461**	**366061**	**615976**	**18880**	**61821**	**677649**	**3606485**	**9873795**

सारणी

आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

कार्य सम्बंधी / आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
	खपत सम्बंधी चालू व्यय	घटाये (-) वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1- सामान्य सेवायें	**1539963**	**39022**	**1500941**	**0**	**5037**	**15071**	**356453**	**1877502**
1.1- सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	**1538621**	**39008**	**1499613**	**0**	**4137**	**13119**	**356453**	**1873322**
1.1.1- सामान्य प्रशासन	410885	13120	397765			1089		398854
1.1.2- करों की उगाही का व्यय	164027	1217	162810			5301		168111
1.1.3- न्याय	120841	2616	118225			306		118531
1.1.4- कारागार	30568	13	30555			2		30557
1.1.5- पुलिस	640752	21793	618959			647		619606
1.1.6- अन्य सामान्य सेवायें	171548	249	171299		4137	5774	356453	537663
1.2- सामान्य शोध	1342	14	1328		900	1952		4180
2- सुरक्षा	**43399**		**43399**			**4707**		**48106**
3- शिक्षा	**1910302**	**198242**	**1712060**	**0**	**4568**	**708455**	**0**	**2425083**
3.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	79363		79363			142		79505
3.2- स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें	1830939	198242	1632697		4568	708313		2345578
4- स्वास्थ्य	**409825**	**10162**	**399663**	**0**	**0**	**4977**	**0**	**404640**
4.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	58613		58613			3506		62119
4.2- अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	351212	10162	341050			1471		342521
5- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	**459968**	**4955**	**455013**	**0**	**55600**	**517713**	**0**	**1028326**
5.1- समाज कल्याण सेवायें	450719	4955	445764		54400	289179		789343
5.2- समाज सुरक्षा सेवायें	9249		9249		1200	228534		238983
6- आवास एवं सामुदायिक सेवायें	**80597**	**3262**	**77335**		**43395**	**73269**		**193999**
7- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	**12345**	**94**	**12251**			**2125**		**14376**

- 6.2

2009-2010 (पुनरीक्षित व्यय)

(लाख रुपयों में)

पूंजीगत व्यय										
कुल स्थिर पूंजी निर्माण		पूंजी अन्तरण			ऋण और अग्रिम					
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य	मशीने एवं उपकरण	स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	पूंजी शेयरों में निवेश	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	कुल पूंजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42609	**61122**	**0**	**0**	**58939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162670**	**2040172**
38195	**61067**	**0**	**0**	**58939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158201**	**2031523**
10982	8986								19968	418822
674	1906								2580	170691
-3	497								494	119025
4609	20770								25379	55936
26029	12855								38884	658490
-4096	16053			58939					70896	608559
4414	55								4469	8649
	132	**0**							**132**	**48238**
117727	**5680**	**0**	**0**	**13420**	**610**	**0**	**0**	**0**	**137437**	**2562520**
5740	128			935					6803	86308
111987	5552			12485	610				130634	2476212
101744	**17906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**119700**	**524340**
	62								62	62181
101744	17844						50		119638	462159
175785	**6520**	**0**	**0**	**508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182813**	**1211139**
29635	5892			508					36035	825378
146150	628								146778	385761
309999	**62**			**84469**		**20000**	**2**		**414532**	**608531**
136711	**52**			**5767**					**142530**	**156906**

सारणी

आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

कार्य सम्बंधी / आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
	खपत सम्बंधी चालू व्यय	घटाये (-) वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8- आर्थिक सेवायें	**550964**	**12388**	**538576**	**0**	**669414**	**69915**	**0**	**1277905**
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	38321	1916	36405		13500	2564		52469
8.2- कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	226625	8860	217765		436804	7105		661674
8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण	19538	17	19521		24777	658		44956
8.4- विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	10		10		164360	59512		223882
8.5- परमाणविक ऊर्जा								0
8.6- परिवहन एवं संचार	251495	780	250715			64		250779
8.7- अन्य आर्थिक सेवायें	14975	815	14160		29973	12		44145
9- अन्य सेवायें	**103**	**0**	**103**	**1168043**	**0**	**1169**	**0**	**1169315**
9.1- विपदा सहायता	74		74			1164		1238
9.2- अन्य विविध कार्य	29		29	1168043		5		1168077
योग	**5007466**	**268125**	**4739341**	**1168043**	**778014**	**1397401**	**356453**	**8439252**

- 6.2

2009-2010 (पुनरीक्षित व्यय)

(लाख रुपयों में)

पूंजीगत व्यय										
कुल स्थिर पूंजी निर्माण			पूंजी अन्तरण			ऋण और अग्रिम				
भवन एवं अन्य निर्माण- कार्य	मशीने एवं उपकरण	स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	पूंजी शेयरों में निवेश	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	कुल पूंजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
982169	**10538**	**-60597**	**0**	**32425**	**585467**	**0**	**109263**	**0**	**1659265**	**2937170**
18	146			6915			30100		37179	89648
322594	5471				3988				332053	993727
483	611			1665			65026		67785	112741
2080				23845	580595				606520	830402
									0	0
597765	2936						11417		612118	862897
59229	1374	-60597			884		2720		3610	47755
50	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**788736**	**788787**	**1958102**
	1								1	1239
50								788736	788786	1956863
1866794	**102013**	**-60597**	**0**	**195528**	**586077**	**20000**	**109315**	**788736**	**3607866**	**12047118**

सारणी

आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

कार्य सम्बंधी / आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
	खपत सम्बंधी चालू व्यय	घटाये (-) वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1- सामान्य सेवायें	**1609887**	**38479**	**1571408**	**0**	**6010**	**14843**	**443489**	**2035750**
1.1- सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	**1607976**	**38463**	**1569513**	**0**	**4410**	**13631**	**443489**	**2031043**
1.1.1- सामान्य प्रशासन	172272	11784	160488			1147		161635
1.1.2- करों की उगाही का व्यय	177445	2622	174823			5301		180124
1.1.3- न्याय	134706	2879	131827			300		132127
1.1.4- कारागार	35751	47	35704			2		35706
1.1.5- पुलिस	833664	21131	812533			658		813191
1.1.6- अन्य सामान्य सेवायें	254138		254138		4410	6223	443489	708260
1.2- सामान्य शोध	1911	16	1895		1600	1212		4707
2- सुरक्षा	**46291**	**100**	**46191**	**0**	**0**	4061	**0**	**50252**
3- शिक्षा	**2447902**	**232100**	**2215802**	**0**	**4932**	**668467**	**0**	**2889201**
3.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	167737		167737			402		168139
3.2- स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें	2280165	232100	2048065		4932	668065		2721062
4- स्वास्थ्य	**420657**	**2822**	**417835**	**0**	**0**	**5378**	**0**	**423213**
4.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	85452		85452			3506		88958
4.2- अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	335205	2822	332383			1872		334255
5- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	**579609**	**10294**	**569315**	**0**	**35987**	**524467**	**0**	**1129769**
5.1- समाज कल्याण सेवायें	553039	10294	542745		34787	283744		861276
5.2- समाज सुरक्षा सेवायें	26570		26570		1200	240723		268493
6- आवास एवं सामुदायिक सेवायें	**99815**	**3458**	**96357**	**0**	**43047**	**189704**	**0**	**329108**
7- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	**15984**	**5**	**15979**	**0**	**0**	**3167**	**0**	**19146**

– 6.3

2010–2011 (आय–व्ययक अनुमानित व्यय)

(लाख रुपयों में)

पूंजीगत व्यय										
कुल स्थिर पूंजी निर्माण		पूंजी अन्तरण				ऋण और अग्रिम				
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य	मशीने एवं उपकरण	स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	पूंजी शेयरों में निवेश	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	कुल पूंजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50339	**60579**	**0**	**0**	**59014**	**500**	**0**	**0**	**0**	**170432**	**2206182**
49142	**60555**	**0**	**0**	**58939**	**500**	**0**	**0**	**0**	**169136**	**2200179**
11957	42778								54735	216370
1562	766								2328	182452
-3	299								296	132423
-1	130								129	35835
38624	16256								54880	868071
-2997	326			58939	500				56768	765028
1197	24			75					1296	6003
0	**219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219**	**50471**
129867	**6443**	**0**	**0**	**21514**	**610**	**0**	**0**	**0**	**158434**	**3047635**
3337	3004			100					6441	174580
126530	3439			21414	610				151993	2873055
64888	**10477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75365**	**498578**
10	355								365	89323
64878	10122								75000	409255
196018	**7886**	**0**	**0**	**7501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211405**	**1341174**
31128	5455			7501					44084	905360
164890	2431								167321	435814
228544	**404**	**0**		**154020**	**0**	**22500**	**12454**	**0**	**417922**	**747030**
32516	**125**	**0**		**45659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78300**	**97446**

सारणी

आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

कार्य सम्बंधी / आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
	खपत सम्बंधी चालू व्यय	घटाये (-) वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8- आर्थिक सेवायें	**633993**	**13289**	**620704**	**0**	**724096**	**70903**	**0**	**1415703**
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	34631	2113	32518		30547	2371		65436
8.2- कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	250141	9523	240618		461005	14919		716542
8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण	30083	18	30065		30846	368		61279
8.4- विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	110		110		189733	53019		242862
8.5- परमाणविक ऊर्जा			0					0
8.6- परिवहन एवं संचार	300433	780	299653			214		299867
8.7- अन्य आर्थिक सेवायें	18595	855	17740		11965	12		29717
9- अन्य सेवायें	**113**	**0**	**113**	**1284772**	**0**	**1479**	**0**	**1286364**
9.1- विपदा सहायता	80		80			1474		1554
9.2- अन्य विविध कार्य	33		33	1284772		5		1284810
योग	**5854251**	**300547**	**5553704**	**1284772**	**814072**	**1482469**	**443489**	**9578506**

– 6.3

2010–2011 (आय–व्ययक अनुमानित व्यय)

(लाख रुपयों में)

पूंजीगत व्यय										
कुल स्थिर पूंजी निर्माण			पूंजी अन्तरण			ऋण और अग्रिम				
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य	मशीने एवं उपकरण	स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	पूंजी शेयरों में निवेश	स्थानीय निकायों कों	अन्य सेक्टरों को	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	कुल पूंजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
919534	**7791**	**-133035**	**0**	**22158**	**467000**	**0**	**67572**	**0**	**1351020**	**2766723**
19	75						49012		49106	114542
366753	5367	5			3500				375625	1092167
1131	315			2295			18154		21895	83174
				19863	463100				482963	725825
									0	0
537620	1927						4		539551	839418
14011	107	-133040			400		402		-118120	-88403
63716	**185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**816496**	**880397**	**2166761**
1500	1								1501	3055
62216	184							816496	878896	2163706
1685422	**94109**	**-133035**	**0**	**309866**	**468110**	**22500**	**80026**	**816496**	**3343494**	**12922000**

सारणी- 6.4

आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2008-2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010	आय-व्ययक अनुमान 2010-2011
1	2	3	4
1- चालू व्यय	**6267310**	**8439252**	**9578506**
1.1- खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	3188261	4739341	5553704
1.2- साधारण ऋण पर ब्याज	1046510	1168043	1284772
1.3- राज सहायतायें	604363	778014	814072
1.4- परिवारों के आय खातें में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	1077755	1397401	1482469
1.5- स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	350421	356453	443489
2- पूंजीगत व्यय	**3606485**	**3607866**	**3343494**
2.1- कुल स्थिर पूंजी निर्माण	**1576175**	**1968807**	**1779531**
2.1.1- भवन एवं अन्य निर्माण कार्य	1514382	1866794	1685422
2.1.2- मशीन एवं उपकरण	61793	102013	94109
2.2- स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	**240462**	**-60597**	**-133035**
2.3- पूंजीगत अन्तरण	**415522**	**195528**	**309866**
2.3.1- स्थानीय निकायों को	49461	0	0
2.3.2- अन्य सेक्टरों को	366061	195528	309866
2.4- पूंजी शेयरों में निवेश	**615976**	**586077**	**468110**
2.5- ऋण एवं अग्रिम	**80701**	**129315**	**102526**
2.5.1- स्थानीय निकायों को	18880	20000	22500
2.5.2- अन्य सेक्टरों को	61821	109315	80026
2.6- सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	**677649**	**788736**	**816496**
योग	**9873795**	**12047118**	**12922000**

राज्य सरकार के चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय

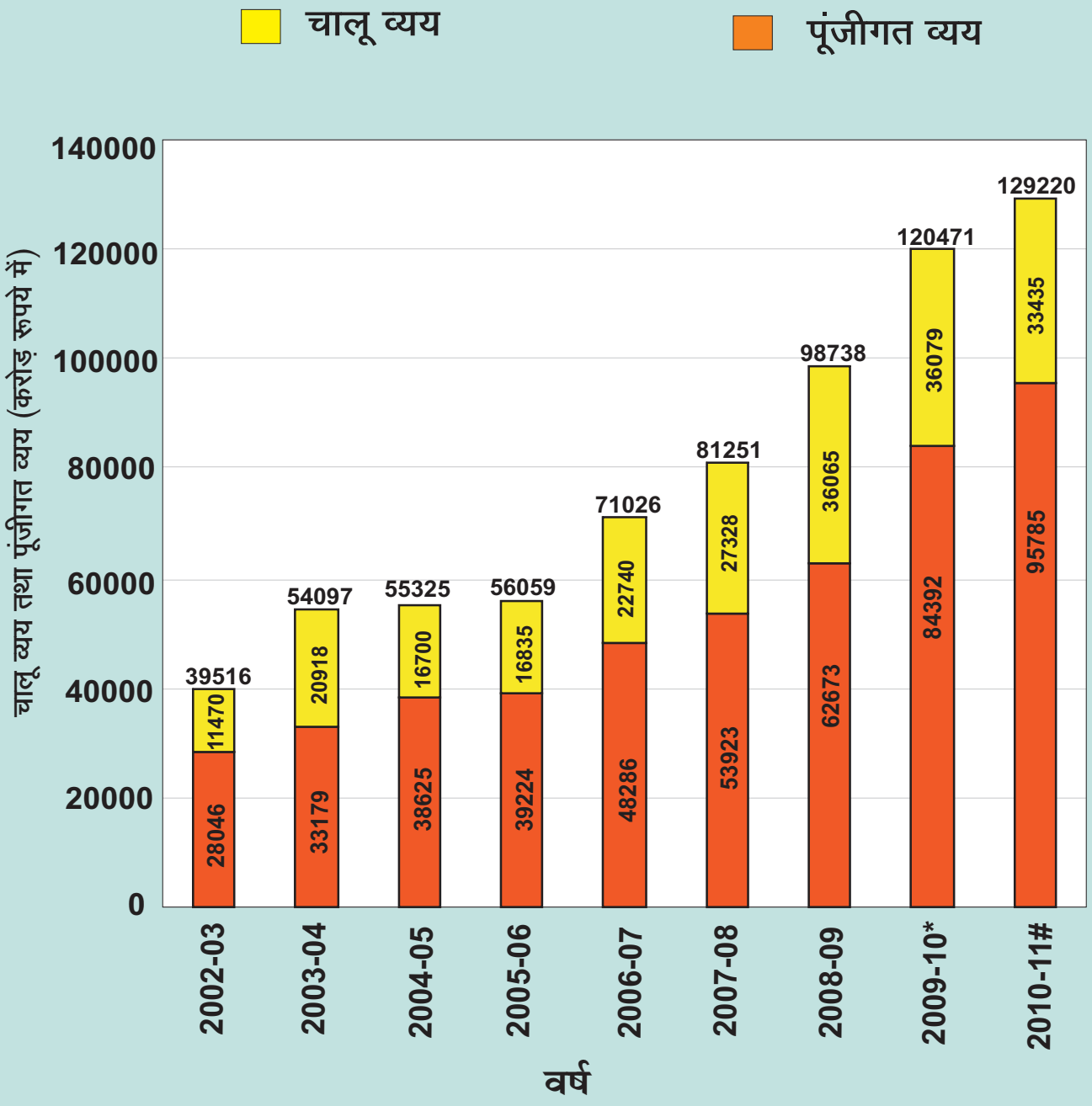

* पुनरीक्षित अनुमान, # आय–व्ययक अनुमान

राज्य सरकार के आय- व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण

(प्रतिशत व्यय)

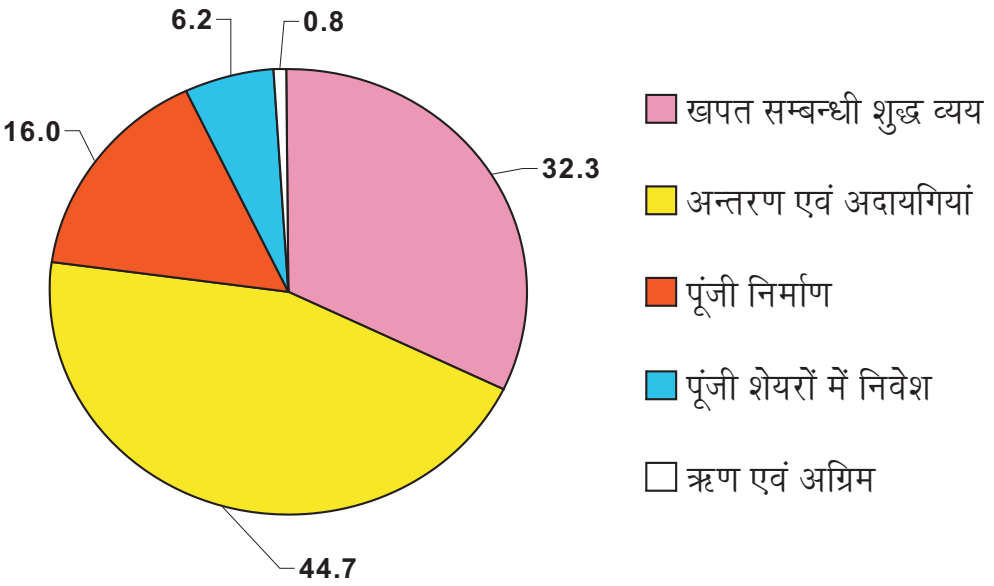

वास्तविक
2008-09

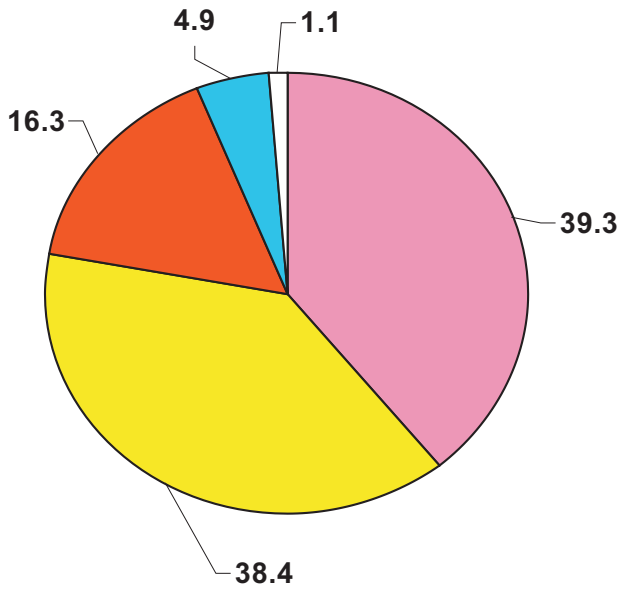

पुनरीक्षित अनुमान
2009-10

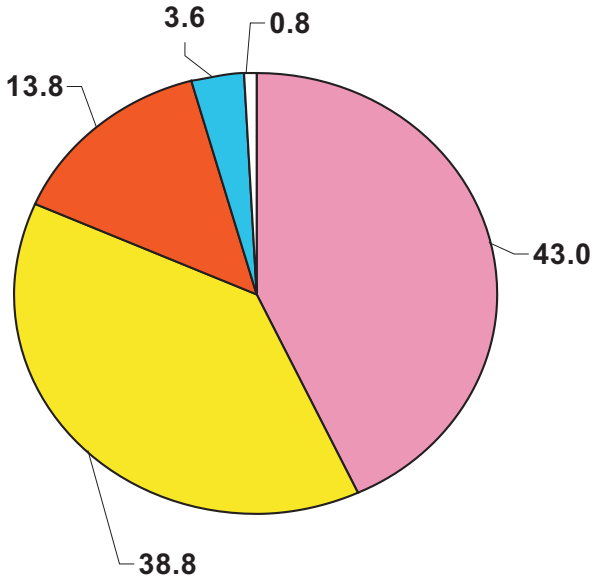

आय–व्ययक अनुमान
2010-11

सारणी- 6.5

आर्थिक वर्गीकरण- प्रतिशत वितरण

(प्रतिशत)

मद	वास्तविक 2008-2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010	आय-व्ययक अनुमान 2010-2011
1	2	3	4
1- चालू व्यय	**63.5**	**70.1**	**74.1**
1.1- खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	32.3	39.3	43.0
1.2- साधारण ऋण पर ब्याज	10.6	9.7	9.9
1.3- राज सहायतायें	6.1	6.5	6.3
1.4- परिवारों के आय खातें में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	10.9	11.6	11.5
1.5- स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	3.6	3.0	3.4
2- पूंजीगत व्यय	**36.5**	**29.9**	**25.9**
2.1- कुल स्थिर पूंजी निर्माण	**16.0**	**16.3**	**13.8**
2.1.1- भवन एवं अन्य निर्माण कार्य	15.4	15.5	13.1
2.1.2- मशीन एवं उपकरण	0.6	0.8	0.7
2.2- स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	**2.4**	**-0.5**	**-1.0**
2.3- पूंजीगत अन्तरण	**4.2**	**1.6**	**2.4**
2.3.1- स्थानीय निकायों को	0.5	0.0	0.0
2.3.2- अन्य सेक्टरों को	3.7	1.6	2.4
2.4- पूंजी शेयरों में निवेश	**6.2**	**4.9**	**3.6**
2.5- ऋण एवं अग्रिम	**0.8**	**1.1**	**0.8**
2.5.1- स्थानीय निकायों को	0.2	0.2	0.2
2.5.2- अन्य सेक्टरों को	0.6	0.9	0.6
2.6- सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	**6.9**	**6.5**	**6.3**
योग	**100.0**	**100.0**	**100.0**

सारणी- 6.6

आय-व्ययक का कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2008-2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010	आय-व्ययक अनुमान 2010-2011
1	2	3	4
1- सामान्य सेवायें	**1458470**	**2040172**	**2206182**
1.1- सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	**1439027**	**2031523**	**2200179**
1.1.1- सामान्य प्रशासन	658567	418822	216370
1.1.2- करों की उगाही का व्यय	123752	170691	182452
1.1.3- न्याय	65782	119025	132423
1.1.4- कारागार	44065	55936	35835
1.1.5- पुलिस	30764	658490	868071
1.1.6- अन्य सामान्य सेवायें	516097	608559	765028
1.2- सामान्य शोध	19443	8649	6003
2- सुरक्षा	**35955**	**48238**	**50471**
3- शिक्षा	**1883592**	**2562520**	**3047635**
3.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	42290	86308	174580
3.2- स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें	1841302	2476212	2873055
4- स्वास्थ्य	**307702**	**524340**	**498578**
4.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	34790	62181	89323
4.2- अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	272912	462159	409255
5- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	**884994**	**1211139**	**1341174**
5.1- समाज कल्याण सेवायें	671958	825378	905360
5.2- समाज सुरक्षा सेवायें	213036	385761	435814
6- आवास एवं सामुदायिक सेवायें	**630429**	**608531**	**747030**
7- संास्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	**126236**	**156906**	**97446**
8- आर्थिक सेवायें	**2818131**	**2937170**	**2766723**
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	59915	89648	114542
8.2- कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	820537	993727	1092167
8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण	100883	112741	83174
8.4- विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	834766	830402	725825
8.5- परमाणविक ऊर्जा	0	0	0
8.6- परिवहन एवं संचार	748393	862897	839418
8.7- अन्य आर्थिक सेवायें	253637	47755	-88403
9- अन्य सेवायें	**1728286**	**1958102**	**2166761**
9.1- विपदा सहायता	4056	1239	3055
9.2- अन्य विविध कार्य	1724230	1956863	2163706
योग	**9873795**	**12047118**	**12922000**

राज्य सरकार के आय- व्ययक का कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

(प्रतिशत व्यय)

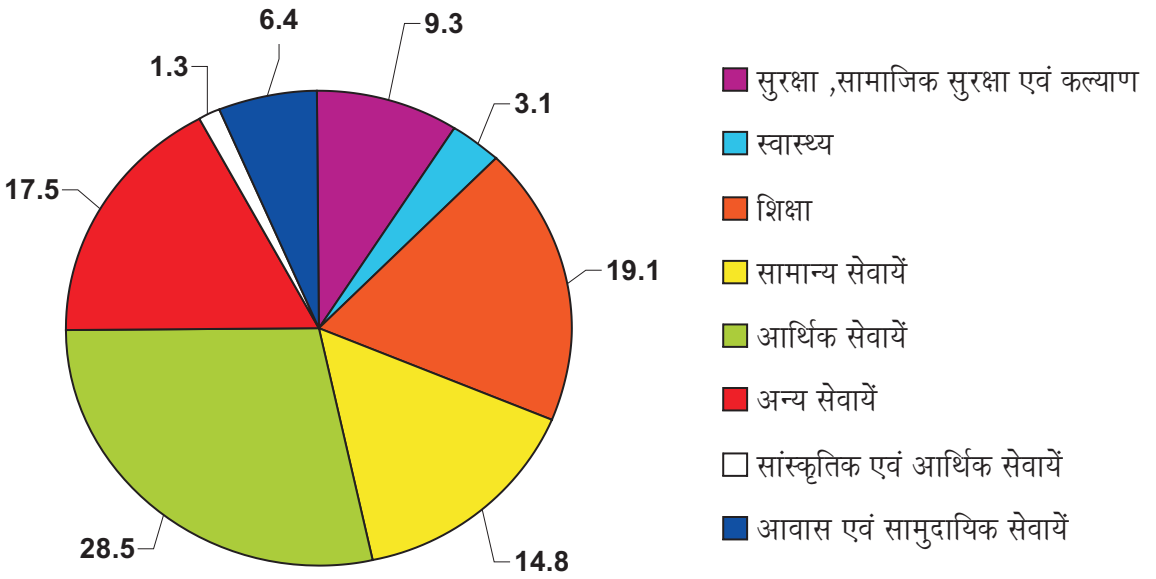

वास्तविक
2008-09

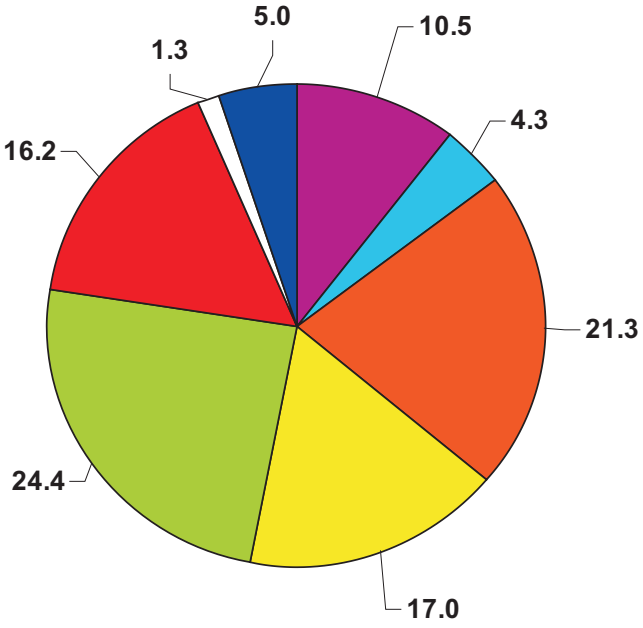

पुनरीक्षित अनुमान
2009-10

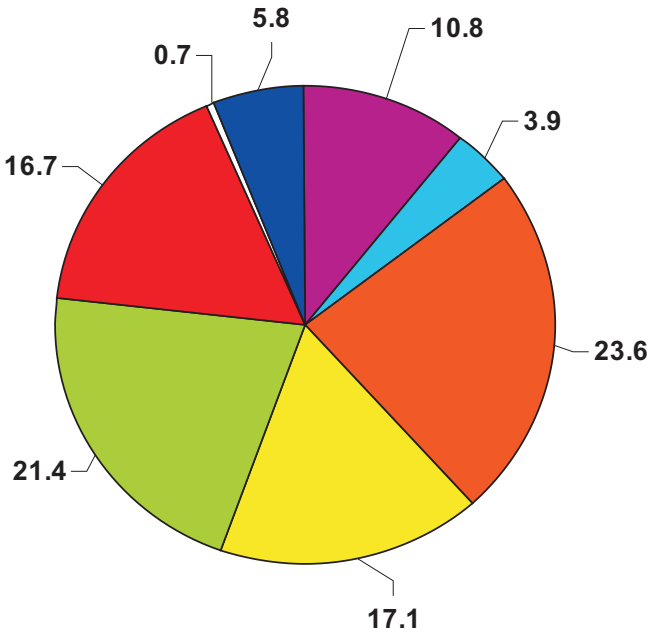

आय–व्ययक अनुमान
2010-11

सारणी– 6.7

कार्य सम्बंधी वर्गीकरण– प्रतिशत वितरण

(प्रतिशत)

मद	वास्तविक 2008–2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009–2010	आय–व्ययक अनुमान 2010–2011
1	2	3	4
1– सामान्य सेवायें	**14.8**	**17.0**	**17.1**
1.1– सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	**14.6**	**16.9**	**17.0**
1.1.1– सामान्य प्रशासन	6.7	3.5	1.7
1.1.2– करों की उगाही का व्यय	1.3	1.4	1.4
1.1.3– न्याय	0.7	1.0	1.0
1.1.4– कारागार	0.4	0.5	0.3
1.1.5– पुलिस	0.3	5.5	6.7
1.1.6– अन्य सामान्य सेवायें	5.2	5.0	5.9
1.2– सामान्य शोध	0.2	0.1	0.1
2– सुरक्षा	**0.3**	**0.4**	**0.4**
3– शिक्षा	**19.1**	**21.3**	**23.6**
3.1– सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	0.5	0.7	1.4
3.2– स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें	18.6	20.6	22.2
4– स्वास्थ्य	**3.1**	**4.3**	**3.9**
4.1– सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	0.3	0.5	0.7
4.2– अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	2.8	3.8	3.2
5– सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	**9.0**	**10.1**	**10.4**
5.1– समाज कल्याण सेवायें	6.8	6.9	7.0
5.2– समाज सुरक्षा सेवायें	2.2	3.2	3.4
6– आवास एवं सामुदायिक सेवायें	**6.4**	**5.0**	**5.8**
7– संास्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	**1.3**	**1.3**	**0.7**
8– आर्थिक सेवायें	**28.5**	**24.4**	**21.4**
8.1– सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	0.6	0.7	0.9
8.2– कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	8.3	8.3	8.5
8.3– खनिज, उद्योग एवं निर्माण	1.0	0.9	0.6
8.4– विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	8.4	6.9	5.6
8.5– परमाणविक ऊर्जा	0.0	0.0	0.0
8.6– परिवहन एवं संचार	7.6	7.2	6.5
8.7– अन्य आर्थिक सेवायें	2.6	0.4	-0.7
9– अन्य सेवायें	**17.5**	**16.2**	**16.7**
9.1– विपदा सहायता	0.0	0.0	0.0
9.2– अन्य विविध कार्य	17.5	16.2	16.7
योग	**100.0**	**100.0**	**100.0**

सारणी- 6.8

विकासगत तथा अविकासगत व्यय

व्यय की मदें	(व्यय लाख रुपयों में) वास्तविक 2008-2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010	आय-व्ययक अनुमान 2010-2011	(प्रतिशत वितरण) वास्तविक 2008-2009	पुनरीक्षित अनुमान 2009-2010	आय-व्ययक अनुमान 2010-2011
1	2	3	4	5	6	7
1- विकासगत व्यय	6591169	7910958	8384044	66.8	65.7	64.9
1.1- शिक्षा	1883592	2562520	3047635	19.1	21.3	23.6
1.2- स्वास्थ्य	307702	524340	498578	3.1	4.3	3.9
1.3- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	884994	1211139	1341174	9.0	10.1	10.4
1.4- आवास एवं सामुदायिक सेवायें	630429	608531	747030	6.4	5.0	5.8
1.5- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	126236	156906	97446	1.3	1.3	0.7
1.6- आर्थिक सेवायें*	2758216	2847522	2652181	27.9	23.7	20.5
2- अविकासगत व्यय	3282626	4136160	4537956	33.2	34.3	35.1
2.1- सामान्य सेवायें	1458470	2040172	2206182	14.8	17.0	17.1
2.2- सुरक्षा	35955	48238	50471	0.3	0.4	0.4
2.3- आर्थिक सेवायें	59915	89648	114542	0.6	0.7	0.9
2.4- अन्य सेवायें **	1728286	1958102	2166761	17.5	16.2	16.7
योग	**9873795**	**12047118**	**12922000**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

*इस शीर्षक के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन एवं विनियम सम्बंधी व्यय, जिनकों अविकासगत व्यय के अर्न्तगत दिखाया गया है, सम्मिलित नही है। इन व्ययों को अविकासगत व्यय के मद 2.3 के अन्तर्गत दिखाया गया है।

**इस मद के अन्तर्गत दैवी आपदाओं के लिये तथा शरणार्थियों के लिये सहायता, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, सार्वजनिक ऋणों की अदायगी तथा अन्य ऋण एवं अग्रिम सम्बंधी व्यय सम्मिलित है।

अध्याय-7

कार्यात्मक वर्गीकरण पर टिप्पणी

1- सामान्य सेवायें-

सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है-

1.1-सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था-

1.1.1- सामान्य प्रशासन, विधान मण्डल व निर्वाचन-राज्यपाल, मंत्रिमण्डल एवं उनके कर्मचारी वर्ग, सचिवालय और मुख्यालयों के अधिष्ठानों, जिला प्रशासन, लोक सेवा आयोग, स्थानीय निधि लेखा परीक्षण अधिष्ठान तथा अन्य अधिष्ठानों इत्यादि के पारिश्रमिक तथा भवनों एवं कार्यालयों की सुविधाओं पर व्यय सम्मिलित है।

विधान मण्डल- राज्य के विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, राज्य विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान मण्डल के सदस्यों पर व्यय सम्मिलित है।

निर्वाचन- चुनाव के व्यय में निर्वाचन नामावलियों की तैयारी, वार्षिक पुनरीक्षण तथा छपाई, चुनाव कराने आदि के व्यय सम्मिलित है।

1.1.2- करों की उगाही पर व्यय- इसके अन्तर्गत वृहत जोत कर, भू-राजस्व, राज्य आबकारी शुल्क, वाहनों पर कर, बिक्री कर, विद्युत शुल्क उगाही, अन्य कर एवं शुल्क, स्टाम्प, निबन्धन फीस की उगाही तथा विभिन्न कर, विभागों के अधिष्ठान तथा भवन सम्बंधी व्यय सम्मिलित है।

भू-राजस्व के अन्तर्गत भू-अभिलेख, सर्वेक्षण, बन्दोबस्त इत्यादि के व्यय "अन्य सामान्य सेवायें" उप शीर्षक में निहित किये जाने के कारण इस उपवर्ग में नही दिखाये गये है।

1.1.3- न्याय प्रशासन- न्याय प्रशासन, उच्च न्यायालय, विधि अधिकारी, महाप्रशासन तथा राजन्यासी, दीवानी तथा सत्र न्यायालय, लघुवाद न्यायालय आदि सम्बंधी व्ययों तथा निशुल्क कानूनी सहायता को इस उपवर्ग में प्रकट किया गया हैं।

1.1.4- कारागार- प्रधान निरीक्षक, कारागार प्रशिक्षण विद्यालय, बाल सुधार विद्यालय, कारागार सम्बंधी डिपों, केन्द्रीय कारागार, जिला कारागार, अल्प व्यस्यक कारागार, हवालातों, पुलिस अभिरक्षण तथा कारागारों के भवन निर्माण सम्बंधी व्यय को इस उपवर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

1.1.5- पुलिस- इसके अन्तर्गत पुलिस के कार्य-कलापों, उदाहरणार्थ पुलिस प्रशासन, रेलवे पुलिस नियंत्रण, अपराध अनुसन्धान विभाग, पुलिस विकास योजनायें, जिला कार्यकारी दल, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, ग्राम पुलिस, विशेष पुलिस, विभागीय योजनायें, राज्य अग्नि शमन सेवायें तथा इमारतों के निर्माण सम्बंधी व्यय सम्मिलित है।

1.1.6- अन्य सामान्य सेवायें- इस उप शीर्षक के अन्तर्गत राज्य सर्वेक्षण, बन्दोबस्त एवं भू-अभिलेखों, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, लाटरी, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, सूचना विभाग, नियोजन विभाग, भूमि बन्धक बैंक,

राष्ट्रीय बचत योजना, स्वर्ण नियंत्रण, राज्य आस्थान विभाग, पंचायती और स्थानीय प्रशासन के अधिष्ठान तथा भवन सम्बंधी व्यय और प्रकीर्ण अंशदान सम्मिलित है। अधिवर्ष भत्ते और पेंशन को सभी कार्य वर्गो में वेतन पर व्यय के अनुपात में बांट दिया गया है।

1.2– <u>सामान्य शोध</u>– इसके अन्तर्गत व्यापारिक एवं सामान्य शोध प्रदान करने वाले संस्थानों एवं संगठनों तथा तत्सम्बंधी वैज्ञानिक शोध एवं ज्ञान के विकास सम्बंधी व्यय सम्मिलित है।

2– <u>सुरक्षा</u>– इसके अन्तर्गत सैनिक स्कूल, सिविल डिफेंस सम्बंधी व्यय एवं इनसे सम्बंधित संयंत्रों के क्रय पर व्यय सम्मिलित है।

3– <u>शिक्षा</u>–

3.1– <u>सामान्य प्रशासन विनियम एवं शोध</u> – इसके अन्तर्गत शिक्षा विभाग का प्रशासन, शिक्षा परिषद, पाठ्य पुस्तक कमीशन तथा सामान्य विनियम एवं कार्यप्रणाली पर व्यय सम्मिलित हैं।

3.2– <u>स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें</u>– इसके अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर शिक्षा के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कृषि एवं मेडिकल कालेज व उनके अस्पताल, पशु चिकित्सा शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गो की पढ़ाई की सुविधा एवं प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थाओं, बधिर मूक एवं अन्धों के लिये विद्यालयों के प्राविधान, छात्र वृत्ति, मध्यान्ह भोजन, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक सहायता एवं शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यो हेतु ऋण एवं अनुदान परिव्यय सम्मिलित है।

4– <u>स्वास्थ्य</u>–

4.1– <u>सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध</u>– इसके अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशन, अस्पताल, डाक्टर, नर्सो आदि के विनियम तथा कार्य प्रणाली, मेषज नियन्त्रण व कार्यशाला, जन्म–मृत्यु की रजिस्ट्री, औद्योगिक स्वास्थ्य संगठन तथा इससे सम्बंधित व्यय एवं शोध कार्य के व्यय सम्मिलित है।

4.2– <u>अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें</u>–इस उपशीर्षक में इन सेवाओं का समावेश किया गया है जिनका सम्बंध मानव रोगों के निवारण एवं रोकथाम से है। इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिष्ठानों, चिकित्सालयों एवं औषधालयों, मस्तिष्क रोग चिकित्सालयों, महामारी की रोकथाम, टीका लगाना, औषधियों और उपकरण तथा उसी प्रकार के अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों पर व्यय सम्मिलित किये गये है। पशु चिकित्सा सम्बंधी व्यय भी इसी मद में सम्मिलित है।

5– <u>सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें</u>–

5.1– <u>समाज कल्याण सेवायें</u>– इन मदों के अन्तर्गत समाज एवं परिवार कल्याण, खाद्य एवं रसद, स्वर्णकारों पर व्यय, नशाबन्दी, महिला एवं बाल मंगल योजनायें, विधवा आश्रम, अनाथालय, निर्धन विद्यार्थियों, बाल कल्याण रुजालयों तथा अवेक्षागृहों के लिये अभ्यागत केन्द्र, अन्धों को परिवीक्षा सेवायें, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बंधी व्यय तथा अनुदान, कल्याणकारी समितियों के सहायतार्थ ऋण इस उपवर्ग में

सम्मिलित किये गये है।

5.2- <u>समाज सुरक्षा सेवायें</u>- इस उपवर्ग में समाज सुरक्षा योजनायें, राज्य बीमा, बेरोजगारी भत्ता तथा वृद्धावस्था पेंशन सम्मिलित है।

6- <u>आवास एवं सामुदायिक सेवायें</u>-

इस मद के अन्तर्गत आवास सम्बंधी प्रशासन विनियम और अनुपोषण सुविधायें तथा तत्सम्बंधी शोध सहायता एवं व्यय सम्मिलित हैं । इसके अन्तर्गत नगर नियोजन, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा सामुदायिक विकास परियोजनाओं तथा उनसे सम्बंधित कार्य-कलापों की अभिवृद्धि पर व्यय सम्मिलित है। सभी विभागों के आवासीय भवनों पर व्यय इस मद में सम्मिलित है।

आवास निर्माण योजनायें, मलिन बस्तियों की सफाई कार्य, सड़को की सफाई तथा अन्य स्वच्छता सेवायें तथा कूड़े एवं जल की निकासी, स्वच्छ एवं धुआँ रहित वातावरण सम्बंधी व्यय सम्मिलित किया गया है।

7- <u>सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें</u>-

इसके अन्तर्गत आमोद-प्रमोद सम्बंधी चल-चित्र का उत्पादन, उद्यानों, क्रीड़ा स्थलों, व्यायामशालाओं, खेल-कूद, पुस्तकालय, अजायबघर, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, एन.सी.सी. प्रशिक्षण, छात्रावास एवं अन्य आवास स्थान जिनका कार्य चालन वाणिज्यिक तौर पर नही किया जाता है तथा अलाभप्रद संस्थायें जो इस प्रकार के कार्य-कलाप में संलग्न है, को सहायतार्थ एवं उन पर व्यय सम्मिलित हैं। धार्मिक सेवायें जैसे- मंदिरों तथा अन्य धार्मिक संस्थाओं पर व्यय एवं सामान्य सहायतार्थ संगठनों को अनुदान सम्बंधी व्यय भी इस वर्ग में सम्मिलित है।

8- <u>आर्थिक सेवायें</u>-

8.1- <u>सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध</u>- इस उप शीर्षक में आर्थिक विभागों का सामान्य प्रशासन, विनियम तथा वाणिज्यिक पंजीकरण, तकनीकी, अभियन्त्रण, सेवायोजन, मानव शक्ति निदेशालय, श्रम विभाग, माप तथा बाँट विनियमन संस्थायें एवं उन समस्त उद्योगों के विनियमन, वृद्धि एवं शोध पर व्यय जो किसी विनिर्दिष्ट वर्ग में नही है, सम्मिलित है।

8.2- <u>कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार</u>- इस उप शीर्षक में इन विभागों तथा चकबन्दी का सामान्य प्रशासन, विनियम, शोध आदि पर व्यय सम्मिलित है। चकबन्दी, कृषि सम्बंधी प्रदर्शन, प्रचार परिव्यय, कृषि भवनों के निर्माण के लिये ऋण एवं अग्रिम, पशु एवं मत्स्य पालन के विकास तथा संचय सम्बंधी व्यय, अभिजन्न क्रियायें, रोगाणु व्यय तथा तत्सम्बंधी व्यय, ऋण अग्रिम एवं अनुदान, दुग्ध सम्पूर्ति योजना के लिये पूंजीगत परिव्यय, भूमि संरक्षण एवं प्रयोग, कृषि, सिंचाई, वन, पशुपालन, मत्स्य एवं वन्य जीवन की संरक्षण एवं निवेश, बंजर भूमि के कृषिकरण, पौध रोपण, वनों के प्रयोग, आग संरक्षण तथा कृषक अनुदान सम्मिलित है।

8.3– **<u>खनिज, उद्योग एवं निर्माण कार्य</u>**– इसके अन्तर्गत खनिज तथा उद्योगों के निदेशालय, अधीक्षण, शोध विकास, कुटीर उद्योग, खादी एवं हथकरघा उद्योग के व्यय तथा औद्योगिक प्रयोजनार्थ अनुदान एवं औद्योगिक विकास के लिये पूंजीगत परिव्यय आदि निहित हैं।

8.4– **<u>विद्युत शक्ति, गैस, वाष्प एवं जल</u>**– इसके अन्तर्गत विद्युत शक्ति, गैस एवं वाष्प का उत्पादन, संचारण, वितरण आदि व्यय तथा राजकीय विद्युत परिषद को ऋण एवं अग्रिम तथा जल एकत्रीकरण, शुद्धीकरण, संचारण एवं वितरण सम्बंधी व्यय सम्मिलित है।

8.5– **<u>परमाणविक ऊर्जा</u>**– परमाणविक ऊर्जा सम्बंधी प्रशासन एवं शोध पर व्यय, परमाणु ऊर्जा आयोग, अन्तरिक्ष अनुसन्धान तथा वैधानिक संस्थाओं पर व्यय व अनुदान इसमें सम्मिलित है।

8.6– **<u>परिवहन तथा संचार</u>**– इसके अन्तर्गत सड़कों का सुधार एवं अनुरक्षण, सड़कों के लिये उपयोगिता यन्त्र तथा उपकरण, पूंजी अन्तरण, जल मार्गो सम्बंधी व्यय, राष्ट्रीय मार्गो, सड़को तथा जल मार्गो एवं उनके अधिष्ठानों एवं प्रकाशन पर व्यय सम्मिलित है, साथ ही जल, थल एवं वायु द्वारा परिवहन एवं संचार सम्बंधी व्यय, सड़क परिवहन योजनाओं के चालू व्यय, राज्य कर्मचारी को वाहन क्रय हेतु ऋण आदि इसमें सम्मिलित है।

8.7– **<u>अन्य आर्थिक सेवायें</u>**– इसके अन्तर्गत बाढ़ नियन्त्रण, बहुधन्धी जल योजनायें, अग्रगामी योजनायें, भण्डारण, निबन्धक सहकारी समितियों के व्यय का समावेश किया गया है।

9– <u>अन्य सेवायें</u>–

9.1– **<u>विपदा सहायता</u>**– सूखा और बाढ़ सहायता, देवी आपदाओं के लिये सहायता, शरणार्थी सहायता आदि पर व्यय दिखाये गये हैं।

9.2– **<u>अन्य विविध कार्य</u>**– वे सेवायें जिनका वर्गीकरण कार्यात्मक वर्गीकरण के अन्य वर्ग में नही किया गया है जैसे जमींदारी प्रथा उन्मूलन प्रतिकर, अन्तर्राज्य जल विवाद आयोग पर व्यय, भारत सेवक समाज को अनुदान सम्मिलित हैं। सामान्य ऋणों पर ब्याज, सार्वजनिक ऋणों की अदायगी, अनिर्दिष्ट अनुदान, अन्य घरेलू सेवाओं का अन्तरण तथा प्रकीर्ण ऋण भी इसके उदाहरण है।

****

परिशिष्ट-1 (अ)

आय-व्ययक का कार्य सम्बंधी वर्गीकरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय

(लाख रुपयों में)

मद	1984-85	1999-2000	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1- सामान्य सेवायें	**58834**	**540319**	**632522**	**679985**	**761781**	**936573**	**1080326**	**1333280**	**1458470**
1.1- सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	**58477**	**538832**	**628212**	**677394**	**757277**	**933659**	**1074408**	**1313165**	**1439027**
1.1.1- सामान्य प्रशासन	7858	66665	63544	63415	71879	73871	113882	108041	658567
1.1.2- करों की उगाही का व्यय	5890	46411	62977	103134	64549	77494	97917	108513	123752
1.1.3- न्याय	2991	31253	35743	38955	44554	48823	60323	65361	65782
1.1.4- कारागार	1526	12054	13629	18749	18161	20542	23842	24090	44065
1.1.5- पुलिस	23876	223098	262492	281094	302045	347958	397958	473258	30764
1.1.6- अन्य सामान्य सेवायें	16336	159351	189827	172047	256089	364971	380486	533902	516097
1.2- सामान्य शोध	357	1487	4310	2591	4504	2914	5918	20115	19443
2- सुरक्षा	**1709**	**10717**	**14347**	**14617**	**16649**	**17242**	**23725**	**26163**	**35955**
3- शिक्षा	**77304**	**679614**	**760370**	**756938**	**948530**	**1145033**	**1346352**	**1500975**	**1883592**
3.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	3869	16737	18572	37348	20169	24992	26606	35811	42290
3.2- स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें	73435	662877	741798	719590	928361	1120041	1319746	1465164	1841302
4- स्वास्थ्य	**18220**	**133123**	**143281**	**158737**	**180576**	**219076**	**330656**	**321370**	**307702**
4.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	412	6503	9709	5479	7487	11722	14618	16066	34790
4.2- अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	17808	126620	133572	153258	173089	207354	316038	305304	272912
5- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	**16494**	**93868**	**159385**	**172805**	**234252**	**255631**	**401072**	**606001**	**884994**
6- आवास एवं सामुदायिक सेवायें	**29872**	**120723**	**144052**	**117537**	**152170**	**229243**	**310242**	**386764**	**630429**
7- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	**1721**	**6274**	**11820**	**50360**	**14422**	**30024**	**33012**	**22040**	**126236**

मद	1984-85	1999-2000	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8- आर्थिक सेवायें	**208074**	**862069**	**887179**	**1594453**	**1170224**	**1379018**	**2013430**	**2425267**	**2818131**
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	2261	18051	25767	39326	39050	50598	94604	50830	59915
8.2- कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	85454	412738	437221	435517	438544	498004	628734	717899	820537
8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण	23218	33260	40459	79482	28579	42247	57228	102214	100883
8.4- विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	58327	142937	142645	818954	320218	293417	575765	774142	834766
8.5- परमाणविक ऊर्जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6- परिवहन एवं संचार	34249	189537	204904	217114	247663	483435	672846	678961	748393
8.7- अन्य आर्थिक सेवायें	4565	65546	36183	4060	96170	11317	-15747	101221	253637
9- अन्य सेवायें	**54650**	**798220**	**1198598**	**1864289**	**2053911**	**1394086**	**1563822**	**1503267**	**1728286**
कुल योग	**466878**	**3244927**	**3951554**	**5409721**	**5532515**	**5605926**	**7102637**	**8125127**	**9873795**
(ब) विकासगत व्यय	349424	1877620	2080320	2811504	2661124	3207427	4340160	5211587	6591169
(स) अविकासगत व्यय	117454	1367307	1871234	2598217	2871391	2398499	2762477	2913540	3282626

परिशिष्ट-1 (ब)

आय-व्ययक का कार्य सम्बंधी वर्गीकरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय-

(प्रतिशत वितरण)

मद	1984-85	1999-2000	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1- सामान्य सेवायें	**12.6**	**16.7**	**16.0**	**12.5**	**13.8**	**16.7**	**15.2**	**16.4**	**14.8**
1.1- सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	**12.5**	**16.6**	**15.9**	**12.5**	**13.7**	**16.7**	**15.1**	**16.2**	**14.6**
1.1.1- सामान्य प्रशासन	1.7	2.0	1.6	1.2	1.3	1.3	1.6	1.3	6.7
1.1.2- करों की उगाही का व्यय	1.3	1.4	1.6	1.9	1.2	1.4	1.4	1.4	1.3
1.1.3- न्याय	0.6	1.0	0.9	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7
1.1.4- कारागार	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4
1.1.5- पुलिस	5.1	6.9	6.6	5.2	5.5	6.2	5.6	5.8	0.3
1.1.6- अन्य सामान्य सेवायें	3.5	4.9	4.8	3.2	4.6	6.5	5.4	6.6	5.2
1.2- सामान्य शोध	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.0**	**0.1**	**0.0**	**0.1**	**0.2**	**0.2**
2- सुरक्षा	**0.4**	**0.3**	**0.4**	**0.3**	**0.3**	**0.3**	**0.3**	**0.3**	**0.3**
3- शिक्षा	**16.5**	**20.9**	**19.2**	**14.0**	**17.2**	**20.4**	**19.0**	**18.5**	**19.1**
3.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	0.8	0.5	0.4	0.7	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
3.2- स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें	15.7	20.4	18.8	13.3	16.8	20.0	18.6	18.0	18.6
4- स्वास्थ्य	**3.9**	**4.1**	**3.6**	**2.9**	**3.2**	**3.9**	**4.7**	**4.0**	**3.1**
4.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3
4.2- अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	3.8	3.9	3.4	2.8	3.1	3.7	4.5	3.8	2.8
5- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	**3.5**	**2.9**	**4.0**	**3.2**	**4.2**	**4.6**	**5.6**	**7.4**	**9.0**
6- आवास एवं सामुदायिक सेवायें	**6.4**	**3.7**	**3.7**	**2.2**	**2.8**	**4.1**	**4.4**	**4.8**	**6.4**
7- संास्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	**0.4**	**0.2**	**0.3**	**0.9**	**0.3**	**0.5**	**0.5**	**0.3**	**1.3**

मद	1984-85	1999-2000	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8- आर्थिक सेवायें	**44.6**	**26.6**	**22.5**	**29.5**	**21.1**	**24.6**	**28.3**	**29.8**	**28.5**
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	1.3	0.6	0.6
8.2- कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	18.3	12.7	11.1	8.1	7.9	8.9	8.8	8.8	8.3
8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण	5.0	1.0	1.0	1.5	0.5	0.8	0.8	1.3	1.0
8.4- विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	12.5	4.4	3.6	15.1	5.8	5.2	8.1	9.5	8.4
8.5- परमाणविक ऊर्जा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8.6- परिवहन एवं संचार	7.3	5.9	5.2	4.0	4.5	8.6	9.5	8.4	7.6
8.7- अन्य आर्थिक सेवायें	1.0	2.0	0.9	0.1	1.7	0.2	-0.2	1.2	2.6
9- अन्य सेवायें	**11.7**	**24.6**	**30.3**	**34.5**	**37.1**	**24.9**	**22.0**	**18.5**	**17.5**
कुल योग	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
(ब) विकासगत व्यय	**74.8**	**57.8**	**52.6**	**52.0**	**48.1**	**57.2**	**61.2**	**64.2**	**66.8**
(स) अविकासगत व्यय	**25.2**	**42.2**	**47.4**	**48.0**	**51.9**	**42.8**	**38.8**	**35.8**	**33.2**

उत्तरांचल राज्य के गठन के कारण वास्तविक अनुमानों में दिनांक 8.11.2000 तक की ही स्थिति प्रदर्शित की गयी हैं।